



उत्तर प्रदेश सरकार

2017-2018 के लिये

**अनुपूरक अनुदानों
की
मांगें**

(दिसम्बर, 2017)

(जैसा कि विधान-मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयीं)

उत्तर प्रदेश सरकार
2017-2018 के लिये
अनुपूरक अनुदानों
की
मांगें

(दिसम्बर, 2017)

वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तावनिक टिप्पणी

किसी वित्तीय वर्ष में व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई धनराशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिये अपर्याप्त पायी जाने पर उस अतिरिक्त व्यय की प्राक्कलित धनराशि के लिये विधान मण्डल के समक्ष अनुपूरक अनुदान की मांग का प्रस्तुतिकरण संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार अभीष्ट है। व्यय की ऐसी नई मदों के सम्बन्ध में भी अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तुत करनी होती है, जिनके लिए मूल आय-व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं होती। अनुपूरक अनुदान की मांग की उस समय भी आवश्यकता होती है, जब सम्बन्धित व्यय के लिए धन उपलब्ध हो, पर व्यय नई मदों के लिए हो या मूल योजना में इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया हो कि उसे विधान-मण्डल के सामने स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक हो। ऐसी मांग "प्रतीक मांग" कहलाती है जो प्रचलित वित्तीय व्यवस्था का एक स्वीकृत अंग है।

2. वित्तीय वर्ष 2017-2018 की अनुपूरक अनुदान की मांग में, अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि, अनुपूरक अनुदान की मांग की धनराशि, जिसकी अब आवश्यकता है तथा उससे सम्बन्धित संक्षिप्त टिप्पणियाँ भी सम्मिलित हैं। विनियोग लेखों के प्रयोजन के लिए लेखा शीर्षों के अनुसार सविस्तार विवरण भी अनुदानवार दिया गया है। अनुपूरक अनुदान की मांग मुख्यतया इसलिए की जा रही है कि आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि, व्यय की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के सापेक्ष कम पड़ने की सम्भावना है। इनमें से कुछ नई मदों पर व्यय करने के लिए भी हैं जिनके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अतिरिक्त अनुपूरक अनुदान की मांग में "उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि" से स्वीकृत किए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव भी सम्मिलित हैं, जिसका उल्लेख सम्बन्धित अनुदान के अन्तर्गत टिप्पणी में किया गया है। विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत मांगों का विवरण अगले पृष्ठों पर अनुसूची में दिया गया है।

3. प्रस्तावित अनुपूरक मांग ₹ 1138817.28 लाख है, जिसमें राजस्व लेखा ₹ 677309.36 लाख तथा पूंजी लेखा ₹ 461507.92 लाख है। अनुपूरक मांग ₹ 1138817.28 लाख में राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिये ₹ 26858.69 लाख तथा राज्य की समेकित निधि पर भारित व्यय के लिए ₹ 441.53 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

4. उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 की धारा-6(2) तथा 6(5) के अधीन अपेक्षित विवरण पत्र भी इन मांगों के साथ प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

मार्गशीर्ष 27, शक संवत्, 1939
तदनुसार
18 दिसम्बर, 2017

संजीव मित्तल
प्रमुख सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

**उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004
की धारा 6(2) के अधीन अपेक्षित विवरण**

अधिनियम की धारा 6(2) में निम्नवत् व्यवस्था है –

"वित्त विभाग का प्रभारी मंत्री प्रत्येक अर्द्ध वर्ष पर बजट से सम्बन्धित प्राप्तियों और व्यय के रुख, बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किये जाने वाले उपचारी उपायों का पुनर्विलोकन करेगा और ऐसे पुनर्विलोकनों के परिणाम को विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखेगा । पुनर्विलोकन रिपोर्ट ऐसे प्रपत्र में होगी जैसा विहित किया जाय ।"

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराये गये वित्तीय वर्ष 2017-2018 की प्रथम छमाही के आँकड़ों के आधार पर वर्ष 2017-2018 की प्रथम छमाही के लिये पुनर्विलोकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है ।

वर्ष 2017-2018 की प्रथम छमाही हेतु पुनर्विलोकन रिपोर्ट –

(₹ करोड़ में)

मद	बजट अनुमान 2017-2018	महालेखाकार द्वारा पुस्तांकित आँकड़े 2017-2018 (30.09.2017 तक)	बजट अनुमानों के सापेक्ष प्रतिशत के रूप में
(1)	(2)	(3)	(4)
(अ) गैर उधार प्राप्तियाँ			
1 राज्य का स्वयं का कर	111501.90	43448.93	39.0
2 करेतर राजस्व	18436.71	5059.42	27.4
3 केन्द्रीय करों में राज्यांश	121406.51	52011.09	42.8
4 केन्द्र सरकार से अनुदान	68052.31	13613.46	20.0
कुल राजस्व प्राप्तियाँ (योग - 1, 2, 3 एवं 4)	319397.43	114132.90	35.7
5 उधार एवं अग्रिम की वसूली	284.19	65.63	23.1
कुल गैर उधार प्राप्तियाँ (योग - 1, 2, 3, 4 एवं 5)	319681.62	114198.53	35.7
(ब) व्यय			
6 राजस्व व्यय	307118.63	111943.43	36.4
7 पूंजीगत परिव्यय	53257.60	7308.48	13.7
8 उधार एवं अग्रिम	2273.25	117.25	5.2
कुल व्यय (ऋणों का प्रतिदान छोड़कर) (योग - 6, 7 एवं 8)	362649.48	119369.16	32.9
(स) राजस्व बचत	12278.80	2189.47	
(द) राजकोषीय घाटा	42967.86	5170.63	

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004
की धारा-6(5) के अधीन अपेक्षित विवरण

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004
की धारा-6(5) में निम्नलिखित प्रावधान है -

- 6(5) जब कभी एक या उससे अधिक अनुपूरक प्राक्कलन विधान मण्डल के सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे, राज्य सरकार चालू वर्ष के बजट लक्ष्यों और भावी वर्ष के लिए मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति के उद्देश्यों और लक्ष्यों के सम्बन्ध में अनुपूरक प्राक्कलन के राजकोषीय प्रभाव को पूर्णतः समाप्त करने के लिये व्यय की तत्सम कमी और / या राजस्व के समवर्द्धन को सूचित करने वाला विवरण भी संलग्न करेगी ।

प्रस्तुत अनुपूरक माँगों का कुल आकार ₹ 11,388.17 करोड़ है, जिसमें केन्द्रीय योजनाओं हेतु प्राप्त होने वाले केन्द्राँश की धनराशि ₹ 2,450.92 करोड़ को घटाने के उपरान्त समेकित निधि से होने वाले शुद्ध व्यय भार की धनराशि 8,937.25 करोड़ रूपये है । इस राशि का वित्त पोषण कर एवं करेत्तर राजस्व में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करके तथा अनुत्पादक व्यय में कमी करके किया जायेगा ।

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुपूरक मांगों की अनुसूची

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि	(₹लाख में)		पृष्ठ संख्या
				मतदेय	भारित	
1	2	3	4	5	6	
002	आवास विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	136.00	...	1-2
003	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	लघु उद्योग मंत्री	राजस्व	6721.35	...	3
004	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	मुख्य मंत्री	राजस्व	120.74	...	4
005	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री	राजस्व	750.01	...	5
006	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	वस्त्रोद्योग मंत्री	राजस्व	15000.00	...	6
007	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	औद्योगिक विकास मंत्री	राजस्व पूँजी	1183.40 15835.60	...	7-9
009	ऊर्जा विभाग	ऊर्जा मंत्री	पूँजी	75948.00	...	10-11
010	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम)	उद्यान मंत्री	राजस्व	4301.10	...	12-13
011	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	कृषि मंत्री	राजस्व	3443.00	...	14
013	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	मुख्य मंत्री	राजस्व पूँजी	2354.63 41538.64	10.00 ...	15-18
014	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	मुख्य मंत्री	राजस्व पूँजी	121539.25 1000.00	...	19-20
015	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	पशुधन मंत्री	राजस्व पूँजी	1701.66 42.85	...	21-24
016	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दूधशाला विकास)	दूध विकास मंत्री	राजस्व	50.00	...	25

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुपूरक मांगों की अनुसूची

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री		धनराशि (₹लाख में)		पृष्ठ संख्या
				मतदेय	भारित	
1	2	3		4	5	6
018	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	सहकारिता मंत्री	राजस्व पूँजी	47.32 409.03	26-27
021	खाद्य तथा रसद विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	2129.80	...	28-29
022	खेल विभाग	खेल मंत्री	राजस्व	116.00	...	30
024	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	मुख्य मंत्री	पूँजी	24992.00	...	31-32
025	गृह विभाग (कारागार)	मुख्य मंत्री	राजस्व पूँजी	700.00 242.47	33-34
026	गृह विभाग (पुलिस)	मुख्य मंत्री	राजस्व पूँजी	15241.35 1245.52	35-38
030	गोपन विभाग(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	मुख्य मंत्री	राजस्व	30.00	...	39
031	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	चिकित्सा शिक्षा मंत्री	राजस्व पूँजी	33835.35 8700.00	40-48
032	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री	राजस्व	10193.74	...	49-50
035	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	परिवार कल्याण मंत्री	राजस्व	29158.74	...	51-52
036	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री	राजस्व	1185.00	...	53
037	नगर विकास विभाग	नगर विकास मंत्री	राजस्व पूँजी	5080.00 10000.00	54-55
038	नागरिक उद्भयन विभाग	नागरिक उद्भयन मंत्री	पूँजी	20000.00	...	56
040	नियोजन विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व पूँजी	67.00 3599.00	57-59
041	निर्वाचन विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	1000.00	...	60

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुपूरक मांगों की अनुसूची

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि	(₹लाख में)		पृष्ठ संख्या
				मतदेय	भारित	
1	2	3	4	5	6	
042	न्याय विभाग	न्याय मंत्री	राजस्व	300.00	...	61-64
			पूँजी	30000.00	...	
043	परिवहन विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	148.00	...	65-66
			पूँजी	182.54	...	
044	पर्यटन विभाग	पर्यटन मंत्री	राजस्व	900.00	...	67-68
			पूँजी	300.00	...	
046	प्रशासनिक सुधार विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	10.00	...	69
048	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री	राजस्व	7400.00	...	70-71
			पूँजी	1000.00	...	
049	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	महिला एवं बाल कल्याण मंत्री	राजस्व	24869.36	...	72-73
052	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	मुख्य मंत्री	राजस्व	66.25	...	74
054	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	लोक निर्माण मंत्री	राजस्व	170.00	...	75
058	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	लोक निर्माण मंत्री	पूँजी	51940.20	...	76-78
059	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	मुख्य मंत्री	राजस्व	131.00	...	79
062	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	वित्त मंत्री	राजस्व	180000.00	...	80-82
068	विधान सभा सचिवालय	संसदीय कार्य मंत्री	पूँजी	890.39	...	83-84
070	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री	राजस्व	10320.22	...	85-86
071	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	मुख्य मंत्री	राजस्व	40184.93	...	87-88
			पूँजी	5000.00	...	
072	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	माध्यमिक शिक्षा मंत्री	राजस्व	200.00	...	89

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुपूरक मांगों की अनुसूची

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि (₹लाख में)		पृष्ठ संख्या	
			मतदेय	भारित		
1	2	3	4	5	6	
074	गृह विभाग (होमगार्डस)	मुख्य मंत्री	राजस्व	10104.39	...	90-91
075	शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	मुख्य मंत्री	राजस्व	438.12	...	92-93
076	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	श्रम एवं सेवायोजन मंत्री	राजस्व	3696.26	...	94
077	श्रम विभाग (सेवायोजन)	श्रम एवं सेवायोजन मंत्री	राजस्व	480.00	...	95
078	सचिवालय प्रशासन विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	2565.00	...	96
079	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री	राजस्व	36250.50	...	97-98
080	समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री	राजस्व	7477.50	...	99-100
081	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री	राजस्व पूँजी	9605.14	...	101-105
082	सतर्कता विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	152.30	22.50	106-107
083	समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री	राजस्व पूँजी	139388.12	...	108-112
084	सामान्य प्रशासन विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व पूँजी	96.12 5000.00	...	113-114
089	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	मुख्य मंत्री	राजस्व पूँजी	304.00 69.43	...	115-116
090	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	मनोरंजन कर मंत्री	राजस्व	133.00	...	117
092	संस्कृति विभाग	संस्कृति मंत्री	राजस्व पूँजी	300.00 512.30	...	118-119
094	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	सिंचाई मंत्री	राजस्व पूँजी	10000.00 14066.69	...	120-123

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुपूरक मांगों की अनुसूची

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि (₹लाख में)		पृष्ठ संख्या	
			मतदेय	भारित		
1	2	3	4	5	6	
095	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	सिंचाई मंत्री	राजस्व	100.00	...	124
			योग : राजस्व	677276.86	32.50	
			पूँजी	461098.89	409.03	
			योग :	1138375.75	441.53	
			कुल योग :	1138817.28		

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
राजस्व लेखा		
क - सामान्य सेवायें		
(क) राज्य के अंग		
2014 - न्याय प्रशासन	42	100.00
योग : 2014		100.00
2015 - निर्वाचन	41	1000.00
योग : 2015		1000.00
योग : (क)		1100.00
(ख) राज कोषीय सेवायें		
(II). सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण		
2029 - भू-राजस्व	52	66.25
योग : 2029		66.25
(III). वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण		
2040 - विक्री, व्यापार आदि पर कर	89	304.00
योग : 2040		304.00
(III). वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण		
2045 - वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	90	133.00
योग : 2045		133.00
योग : (ख)		503.25
(घ) प्रशासनिक सेवायें		
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवायें	46	10.00
	37	80.00
	78	2565.00
योग : 2052		2655.00
2053 - जिला प्रशासन	30	30.00
योग : 2053		30.00
2055 - पुलिस	26	14078.86
योग : 2055		14078.86
2056 - जेलें	25	700.00

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	योग : 2056	700.00
2059 - लोक निर्माण कार्य		
	59	131.00
	54	170.00
	योग : 2059	301.00
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें		
	82	174.80
	26	1162.49
	74	10000.00
	योग : 2070	11337.29
	योग : (घ)	29102.15
(ङ) पेंशन तथा विविध सामान्य सेवायें		
2071 - पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ		
	62	180000.00
	योग : 2071	180000.00
	योग : (ङ)	180000.00
	योग : क	210705.40
ख - सामाजिक सेवायें		
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति		
2202 - सामान्य शिक्षा		
	75	438.12
	81	7354.08
	71	40184.93
	योग : 2202	47977.13
2204 - खेल कूद तथा युवा सेवायें		
	22	116.00
	72	200.00
	योग : 2204	316.00
2205 - कला एवं संस्कृति		
	02	130.00
	92	300.00
	योग : 2205	430.00
	योग : (क)	48723.13
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण		
2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य		
	36	1185.00
	32	10193.74
	31	33835.35

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	योग : 2210	45214.09
2211 - परिवार कल्याण		
	81	5500.00
	35	29158.74
	योग : 2211	34658.74
	योग : (ख)	79872.83
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास		
2216 - आवास		
	13	1900.00
	योग : 2216	1900.00
2217 - शहरी विकास		
	02	6.00
	37	5000.00
	योग : 2217	5006.00
	योग : (ग)	6906.00
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		
2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		
	81	324.07
	80	3352.50
	48	7400.00
	83	15100.00
	79	36240.28
	योग : 2225	62416.85
	योग : (ङ)	62416.85
(च) श्रमिक तथा श्रम कल्याण		
2230 - श्रम तथा रोजगार		
	81	146.20
	77	480.00
	83	900.00
	76	3696.26
	योग : 2230	5222.46
	योग : (च)	5222.46
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण		
2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
	43	4.00
	79	10.22
	74	104.39
	42	200.00

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	80	4125.00
	49	24869.36
योग : 2235		29312.97
योग : (छ)		29312.97
(ज) अन्य		
2250 - अन्य सामाजिक सेवायें		
	84	96.12
योग : 2250		96.12
योग : (ज)		96.12
योग : ख		232550.36
ग - आर्थिक सेवायें		
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्य कलाप		
2401 - फसल कृषि कर्म		
	83	1555.29
	10	4301.10
योग : 2401		5856.39
2402 - मृदा तथा जल संरक्षण		
	81	554.08
	11	3443.00
योग : 2402		3997.08
2403 - पशु पालन		
	15	1701.66
योग : 2403		1701.66
2404 - डेरी विकास		
	16	50.00
योग : 2404		50.00
2408 - खाद्य भण्डारण तथा भांडागार		
	21	2129.80
योग : 2408		2129.80
2425 - सहकारिता		
	18	47.32
योग : 2425		47.32
योग : (क)		13782.25
(ख) ग्राम विकास		
2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
	13	351.63
	81	732.90
	83	52227.85

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	14	121539.25
	योग : 2515	174851.63
	योग : (ख)	174851.63
(घ) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण		
2701 - मुख्य तथा मध्यम सिंचाई	95	100.00
	योग : 2701	100.00
2702 - लघु सिंचाई	13	113.00
	94	10000.00
	योग : 2702	10113.00
	योग : (घ)	10213.00
(ङ) ऊर्जा		
2810 - अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	70	10320.22
	योग : 2810	10320.22
	योग : (ङ)	10320.22
(च) उद्योग तथा खनिज		
2851 - ग्राम तथा लघु उद्योग	05	750.01
	06	15000.00
	योग : 2851	15750.01
2852 - उद्योग	07	1183.40
	03	6721.35
	योग : 2852	7904.75
2853 - अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	04	120.74
	योग : 2853	120.74
	योग : (च)	23775.50
(छ) परिवहन		
3055 - सड़क परिवहन	43	144.00
	योग : 3055	144.00
	योग : (छ)	144.00
(ज) सामान्य आर्थिक सेवायें		
3451 - सचिवालय आर्थिक सेवायें	40	67.00

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	योग : 3451	67.00
3452 - पर्यटन	44	900.00
	योग : 3452	900.00
	योग : (ञ)	967.00
	योग : ग -	234053.60
	राजस्व लेखा	677309.36
पूँजीगत लेखा		
क - सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा		
4055 - पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	26	1245.52
	योग : 4055	1245.52
4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	89	69.43
	43	182.54
	25	242.47
	68	890.39
	42	20500.00
	योग : 4059	21884.83
	योग : क -	23130.35
ख - सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा		
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूँजीगत लेखा		
4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	92	512.30
	48	1000.00
	71	5000.00
	योग : 4202	6512.30
	योग : (क)	6512.30
(ख) स्वास्थ्य तथा कल्याण पर पूँजीगत लेखा		
4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	31	8700.00
	योग : 4210	8700.00
	योग : (ख)	8700.00
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूँजीगत लेखा		
4215 - जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	81	3500.00
	37	10000.00

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	83	14000.00
योग : 4215		27500.00
4216 - आवास पर पूंजीगत परिव्यय		
	42	9500.00
	13	41318.64
	83	112528.32
योग : 4216		163346.96
योग : (ग)		190846.96
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा		
4225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय		
	81	6105.14
योग : 4225		6105.14
योग : (ङ)		6105.14
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा		
4235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय		
	14	1000.00
योग : 4235		1000.00
योग : (छ)		1000.00
(ज) अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा		
4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		
	84	5000.00
योग : 4250		5000.00
योग : (ज)		5000.00
योग : ख -		218164.40
ग - आर्थिक सेवाओं के पूंजीगत लेखे		
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यक्रमों का पूंजीगत लेखा		
4401 - फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय		
	83	4800.00
योग : 4401		4800.00
4403 - पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय		
	15	42.85
योग : 4403		42.85
योग : (क)		4842.85
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम का पूंजीगत लेखा		
4575 - अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय		
	40	3599.00
योग : 4575		3599.00

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
योग : (ग)		3599.00
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा		
4700 - मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	94	11000.00
योग : 4700		11000.00
4702 - लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	13	220.00
योग : 4702		220.00
4711 - बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	94	3066.69
योग : 4711		3066.69
योग : (घ)		14286.69
(ङ) उर्जा का पूंजीगत लेखा		
4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	09	75948.00
योग : 4801		75948.00
योग : (ङ)		75948.00
(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा		
5053 - नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	38	20000.00
योग : 5053		20000.00
5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	83	8059.80
	07	15230.00
	58	51940.20
योग : 5054		75230.00
योग : (छ)		95230.00
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा		
5452 - पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	44	300.00
योग : 5452		300.00
योग : (ज)		300.00
योग : ग -		194206.54
पूंजीगत लेखा		435501.29
ड - लोक ऋण		
6003 - राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण		

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	18	409.03
योग : 6003		409.03
ड - लोक ऋण		409.03
च - कर्ज तथा उधार		
6860 - उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज		
	07	605.60
	24	24992.00
योग : 6860		25597.60
च - कर्ज तथा उधार		25597.60
योग : समेकत निधि		1138817.28

अनुदान संख्या 2

आवास विभाग

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 7-22 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	83795.34	42254.00	126049.34
	भारित	91.78	244.04	335.82
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	136.00	...	136.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	83931.34	42254.00	126185.34
	भारित	91.78	244.04	335.82

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2205 - कला एवं संस्कृति

800 - अन्य व्यय

06 - अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान , उत्तर प्रदेश

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

130.00

योग : 06

130.00

योग : 800

130.00

योग : 2205

130.00

2217 - शहरी विकास

03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

001 - निदेशन तथा प्रशासन

06 - नगर एवं ग्राम्य नियोजन अधिष्ठान

06 - अन्य भत्ते

3.00

49 - चिकित्सा व्यय

3.00

योग : 06

6.00

योग : 001

6.00

योग : 2217

6.00

योग : राजस्व लेखा

136.00

योग : अनुपूरक

धनराशि

136.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिष्ठान व्यय की मदों में रूपये 600000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के मानदेय एवं फरवरी / मार्च, 2018 में प्रस्तावित सम्मेलन हेतु धनराशि रूपये 13000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 3

उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 23-34 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	20116.02	2600.01	22716.03
	भारित	6.00	...	6.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	6721.35	...	6721.35
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	26837.37	2600.01	29437.38
	भारित	6.00	...	6.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2852 - उद्योग

80 - सामान्य

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - मुख्यालय

01 - वेतन

6055.00

03 - मंहगाई भत्ता

302.75

06 - अन्य भत्ते

363.60

योग : 03

6721.35

योग : 001

6721.35

योग : 2852

6721.35

योग : राजस्व लेखा

6721.35

योग : अनुपूरक

6721.35

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट निगम के छटनीशुदा कर्मचारियों के उद्योग निदेशालय में समायोजन के फलस्वरूप कर्मचारियों के लम्बित देयों के भुगतान हेतु वेतनादि मदों में रुपये 610500000 की आवश्यकता ।
2. उद्योग निदेशालय के लिये वेतनादि मदों में रुपये 61635000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 4

उद्योग विभाग (खानों और खनिज)

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 35-49 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	3719.36	309.00	4028.36
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	120.74	...	120.74
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	3840.10	309.00	4149.10
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2853 - अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग

02 - खानों का विनियमन तथा विकास

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - खनन प्रशासन की योजना

16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

120.74

योग : 03

120.74

योग : 001

120.74

योग : 2853

120.74

योग : राजस्व लेखा

120.74

योग : अनुपूरक

120.74

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. मा0 उच्चतम न्यायालय मा0 उच्च न्यायालय व मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणों में योजित वादों की पैरवी हेतु वरिष्ठ अधिवक्ताओं की फीस का भुगतान तथा आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे श्रमिकों के देयों के भुगतान हेतु रुपये 12074000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 5

उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 41-46 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	9770.27	...	9770.27
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	750.01	...	750.01
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	10520.28	...	10520.28
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2851 - ग्राम तथा लघु उद्योग

105 - खादी ग्रामोद्योग

21 - मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

27 - सब्सिडी

750.00

योग : 21

750.00

27 - पं0 दीन दयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता

27 - सब्सिडी

0.01

योग : 27

0.01

योग : 105

750.01

योग : 2851

750.01

योग : राजस्व लेखा

750.01

योग : अनुपूरक

750.01

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. पं0 दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना के क्रियान्वयन हेतु रुपये 1000 की प्रतीक व्यवस्था। आवश्यकतानुसार धनराशि अनुदान के अन्तर्गत बचतों से वहन की जायेगी।
2. मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के क्रियान्वयन हेतु रुपये 75000000 की अतिरिक्त आवश्यकता।

अनुदान संख्या 6

उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 47-51 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	21879.45	562.00	22441.45
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	15000.00	...	15000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	36879.45	562.00	37441.45
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2851 - ग्राम तथा लघु उद्योग

108 - बिजली करघा उद्योग

04 - पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति

27 - सब्सिडी

15000.00

योग : 04

15000.00

योग : 108

15000.00

योग : 2851

15000.00

योग : राजस्व लेखा

15000.00

योग : अनुपूरक

15000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. पावरलूम बुनकरों को विद्युत बिलों में छूट की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 1500000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 7

उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 53-65 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	113300.92	185947.11	299248.03
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	1183.40	15835.60	17019.00
	भारित
	मतदेय	114484.32	201782.71	316267.03
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2852 - उद्योग

07 - दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग

202 - इलेक्ट्रानिक्स

03 - शासकीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण

42 - अन्य व्यय

45.74

योग : 03

45.74

07 - मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

42 - अन्य व्यय

1137.65

योग : 07

1137.65

योग : 202

1183.39

80 - सामान्य

800 - अन्य व्यय

16 - यूपीडा द्वारा आगरा-लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्स प्रेस-वे (ग्रीन फील्डन) के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर ब्याज हेतु सहायता

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

0.01

योग : 16

0.01

योग : 800

0.01

		धनराशि
योग : 2852		1183.40
योग : राजस्व लेखा		1183.40
पूँजी लेखा-----		
5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय		
03 - राज्य राजमार्ग		
337 - सड़क निर्माण कार्य		
04 - पूर्वान्चल एक्सप्रेस - वे परियोजना		
24 - बृहत् निर्माण कार्य		15230.00
योग : 04		15230.00
योग : 337		15230.00
योग : 5054		15230.00
6860 - उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज		
01 - वस्त्र उद्योग		
190 - सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में कर्ज		
03 - उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड को कर्ज		
30 - निवेश/ऋण		28.30
योग : 03		28.30
04 - उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि. को कर्ज		
30 - निवेश/ऋण		131.50
योग : 04		131.50
05 - उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लि. को कर्ज		
30 - निवेश/ऋण		100.20
योग : 05		100.20
06 - उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ को कर्ज		
30 - निवेश/ऋण		345.60
योग : 06		345.60
योग : 190		605.60
योग : 6860		605.60

	धनराशि
योग : पूँजी लेखा	15835.60
योग : अनुपूरक	17019.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिय गये ऋण पर देय ब्याज के भुगतान हेतु यूपीडा को अनुदान दिये जाने हेतु रुपये 1000 की आवश्यकता । आवश्यकतानुसार धनराशि अनुदान के अन्तर्गत बचतों से वहन की जायेगी।
2. पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना हेतु अधिग्रहीत भूमि की सुरक्षा के लिए बाउन्ड्री पिलर लगाये जाने हेतु रुपये 23000000 की आवश्यकता ।
3. पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना हेतु रुपये 1500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ लि0, कानपुर को कर्ज दिये जाने हेतु रुपये 34560000 की आवश्यकता ।
5. उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कं0 लि0, कानपुर को कर्ज दिये जाने हेतु रुपये 10020000 की आवश्यकता ।
6. उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर को कर्ज दिये जाने हेतु रुपये 2830000 की आवश्यकता ।
7. उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कं0 लि0, कानपुर को कर्ज दिये जाने हेतु रुपये 13150000 की आवश्यकता ।
8. मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की स्थापना एवं संचालन हेतु रुपये 113765000 की आवश्यकता ।
9. मुख्यमंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर सेल के आधुनिकीकरण हेतु रुपये 4574000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 9

ऊर्जा विभाग

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 75-89 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	712605.21	589586.09	1302191.30
	भारित	466823.35	3816.00	470639.35
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	75948.00	75948.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	712605.21	665534.09	1378139.30
	भारित	466823.35	3816.00	470639.35

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

05 - संचरण तथा वितरण

190 - सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

04 - समन्वित विद्युत विकास योजना (आई 0 पी0 डी0 एस 0) के अन्तर्गत वितरण कार्यो हेतु अंशपूँजी

30 - निवेश/ऋण

7852.00

योग : 04

7852.00

08 - उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु अंशपूँजी

30 - निवेश/ऋण

10000.00

योग : 08

10000.00

योग : 190

17852.00

06 - ग्रामीण विद्युतीकरण

190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

06 - दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कार्यो हेतु अंशपूँजी

30 - निवेश/ऋण

58095.00

योग : 06

58095.00

योग : 190

58095.00

80 - सामान्य

190 - सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

04 - प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु अंशपूजी

30 - निवेश/ऋण

1.00

योग : 04

1.00

योग : 190

1.00

योग : 4801

75948.00

योग : पूँजी लेखा

75948.00

योग : अनुपूरक

75948.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कार्यो हेतु अंशपूजी दिये जाने हेतु रूपये 5809500000 की आवश्यकता ।
2. समन्वित विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) के अन्तर्गत वितरण कार्यो हेतु अंशपूजी दिये जाने हेतु रूपये 785200000 की आवश्यकता ।
3. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु अंशपूजी दिये जाने हेतु रूपये 1000000000 की आवश्यकता ।
4. प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-(सौभाग्य) के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु अंशपूजी दिये जाने हेतु रूपये 100000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 10
कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 2)के पृष्ठ संख्या 1-23 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	40256.23	1541.17	41797.40
	भारित	176.21	0.50	176.71
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	4301.10	...	4301.10
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	44557.33	1541.17	46098.50
	भारित	176.21	0.50	176.71

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2401 - फसल कृषि कर्म

119 - बागवानी तथा वनस्पति की फसलें

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0101 - राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन योजना (के. 60/ रा. 40-के.+रा.)

27 - सब्सिडी 1050.00

42 - अन्य व्यय 49.21

योग : 0101 1099.21

0102 - पर ड्राप मोर क्राप- माइक्रो इरीगेशन (के.60/रा.40-के.+रा.)

27 - सब्सिडी 3201.89

योग : 0102 3201.89

योग : 01 4301.10

योग : 119 4301.10

योग : 2401 4301.10

योग : राजस्व लेखा 4301.10

योग : अनुपूरक 4301.10

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन योजना हेतु रुपये 109921000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

2. पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन हेतु रूपये 320189000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 11

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 2)के पृष्ठ संख्या 25-69 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	3604229.17	61043.28	3665272.45
	भारित	15.25	...	15.25
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	3443.00	...	3443.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	3607672.17	61043.28	3668715.45
	भारित	15.25	...	15.25

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2402 - मृदा तथा जल संरक्षण

103 - भूमि सुधार तथा विकास

97 - बाह्य सहायतित योजनायें

9704 - उ.प्र सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट-III (विश्व बैंक पोषित)

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

3443.00

योग : 9704

3443.00

योग : 97

3443.00

योग : 103

3443.00

योग : 2402

3443.00

योग : राजस्व लेखा

3443.00

योग : अनुपूरक

3443.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन तृतीय के कार्यों के संचालन हेतु रुपये 344300000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 13

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 2)के पृष्ठ संख्या 75-103 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	277508.46	1304622.01	1582130.47
	भारित	7.50	...	7.50
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	2354.63	41538.64	43893.27
	भारित	10.00	...	10.00
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	279863.09	1346160.65	1626023.74
	भारित	17.50	...	17.50

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2216 - आवास

03 - ग्रामीण आवास

800 - अन्य व्यय

02 - उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण पर ब्याज की अदायगी

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

1900.00

योग : 02

1900.00

योग : 800

1900.00

योग : 2216

1900.00

2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - विकास आयुक्त(मुख्यालय)

01 - वेतन

298.56

03 - मंहगाई भत्ता

10.37

06 - अन्य भत्ते

15.61

42 - अन्य व्यय

मतदेय

--

भारित

10.00

52 - पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)

17.09

योग : 03

मतदेय

341.63

भारित

10.00

		धनराशि
योग : 001	मतदेय	341.63
	भारित	10.00
योग : 2515	मतदेय	341.63
	भारित	10.00
08 - शासकीय भवनों पर स्फटाप रेनवाटर हार्बेस्टिंग प्रणाली		
08 - कार्यालय व्यय		0.75
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई		0.50
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद		1.00
18 - प्रकाशन		0.75
योग : 08		3.00
09 - भूजल संसाधनों की गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं मैपिंग		
08 - कार्यालय व्यय		3.00
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई		1.00
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद		2.00
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान		80.00
18 - प्रकाशन		3.00
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र		10.00
29 - अनुरक्षण		1.00
योग : 09		100.00
11 - भू-जल जन जागरूकता एवं प्रचार - प्रसार योजना		
08 - कार्यालय व्यय		1.00
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई		0.50
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण		0.20
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद		1.30
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान		3.00
18 - प्रकाशन		1.00
42 - अन्य व्यय		3.00
योग : 11		10.00
योग : 005		113.00

2702 - लघु सिंचाई

02 - भू-जल

005 - अन्वेषण

08 - शासकीय भवनों पर स्फटाप रेनवाटर हार्बेस्टिंग प्रणाली

08 - कार्यालय व्यय	0.75
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.50
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1.00
18 - प्रकाशन	0.75

योग : 08 3.00

09 - भूजल संसाधनों की गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं मैपिंग

08 - कार्यालय व्यय	3.00
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.00
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2.00
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	80.00
18 - प्रकाशन	3.00
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	10.00
29 - अनुरक्षण	1.00

योग : 09 100.00

11 - भू-जल जन जागरूकता एवं प्रचार - प्रसार योजना

08 - कार्यालय व्यय	1.00
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.50
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.20
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1.30
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3.00
18 - प्रकाशन	1.00
42 - अन्य व्यय	3.00

योग : 11 10.00

योग : 005 113.00

		धनराशि
		113.00
योग : 2702		113.00
		2354.63
योग : राजस्व लेखा	मतदेय	10.00
		10.00
पूँजी लेखा-----		
4216 - आवास पर पूँजीगत परिव्यय		
03 - ग्रामीण आवास		
800 - अन्य व्यय		
04 - प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (के.60/रा.40-के.+रा.)		
24 - वृहत् निर्माण कार्य		41318.64
योग : 04		41318.64
योग : 800		41318.64
योग : 4216		41318.64
4702 - लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय		
102 - भू जल		
06 - शासकीय भवनों पर स्फटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली		
25 - लघु निर्माण कार्य		55.00
योग : 06		55.00
07 - भूगर्भ सर्वेक्षण का विकास, आंकलन एवं सुदृढीकरण		
25 - लघु निर्माण कार्य		20.00
योग : 07		20.00
योग : 102		75.00
800 - अन्य व्यय		
05 - लघु सिंचाई के अन्तर्गत ग्राउन्ड वाटर चार्जिंग चेक डैमों का निर्माण (जिला योजना)		
24 - वृहत् निर्माण कार्य		145.00
योग : 05		145.00
योग : 800		145.00
योग : 4702		220.00
योग : पूँजी लेखा		41538.64

		धनराशि
योग : अनुपूरक	मतदेय भारित	43893.27 10.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. भूजल जनजागृकता एवं प्रचार-प्रसार योजना हेतु विभिन्न मदों हेतु रुपये 1000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. भूजल संसाधनों की गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं मैपिंग योजना हेतु विभिन्न मदों में रुपये 10000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. ग्राम्य विकास आयुक्त मुख्यालय हेतु वेतन व अन्य मदों हेतु रुपये 35163000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु वितीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर ब्याज की अदायगी हेतु रुपये 190000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु रुपये 4131864000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. भूगर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आंकलन एवं सुदृढीकरण योजना हेतु रुपये 2000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. शासकीय भवनों पर स्फटाप, रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली के अधिष्ठान व्यय हेतु रुपये 3,00,000 एवं लघु निर्माण कार्यो हेतु रुपये 55,00,000 अर्थात कुल रुपये 5800000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
8. लघु सिंचाई के अर्न्तगत ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग चेक डैमों के निर्माण (जिला योजना) हेतु रुपये 14500000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 14

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 2)के पृष्ठ संख्या 105-121 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1205477.38	22333.67	1227811.05
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	121539.25	1000.00	122539.25
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1327016.63	23333.67	1350350.30
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

101 - पंचायती राज

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0103 - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण (जिला योजना)(के.60/रा.40-के.+रा.)

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

121539.25

योग : 0103

121539.25

योग : 01

121539.25

योग : 101

121539.25

योग : 2515

121539.25

योग : राजस्व लेखा

121539.25

पूँजी लेखा-----

4235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

800 - अन्य व्यय

03 - ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास

24 - वृहत् निर्माण कार्य

1000.00

योग : 03

1000.00

योग : 800

1000.00

	धनराशि
योग : 4235	1000.00
योग : पूँजी लेखा	1000.00
योग : अनुपूरक	122539.25

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. ग्रामीण क्षेत्रों में अन्येष्टि स्थल के विकास हेतु रुपये 100000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) के अन्तर्गत शौचालयों के निर्माण हेतु रुपये 12153925000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 15

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 2)के पृष्ठ संख्या 123-142 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	129745.78	13731.10	143476.88
	भारित	13.79	...	13.79
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	1701.66	42.85	1744.51
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	131447.44	13773.95	145221.39
	भारित	13.79	...	13.79

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2403 - पशु पालन

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - निदेशालय

09 - विद्युत देय

301.00

42 - अन्य व्यय

381.41

योग : 03

682.41

योग : 001

682.41

101 - पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य

06 - पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना)

01 - वेतन

90.00

03 - मंहगाई भत्ता

10.00

योग : 06

100.00

योग : 101

100.00

102 - पशु तथा भैस विकास

24 - पं0 दीनदयाल उपध्याय वृहत पशु आरोग्य शिविरों/मेलों (मण्डल स्तर पर)का आयोजन (रा0 यो0)

02 - मजदूरी

1.25

04 - यात्रा व्यय

8.50

11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई

0.25

15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद

6.00

18 - प्रकाशन

6.50

	धनराशि
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन ँ यय	17.00
39 - औषधि तथा रसायन	136.00
42 - अन्य व्यय	71.10
43 - सामग्री एवं सम्पूर्ति	3.40
योग : 24	250.00
25 - पं0 दीनदयाल उपध्याय वृहत पशु आरोग्यो शिविरों/मेलों (न्याय पंचायत स्तर पर)का आयोजन (रा0 यो0)	
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.50
18 - प्रकाशन	10.00
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	40.00
39 - औषधि तथा रसायन	150.00
42 - अन्य व्यय	34.50
43 - सामग्री एवं सम्पूर्ति	15.00
योग : 25	250.00
26 - गोवंशीय पशुओं में सेक्स्ट ड सीमेन के उपयोग की योजना (रा0 यो0)	
42 - अन्य व्यय	0.01
योग : 26	0.01
योग : 102	500.01
103 - कुक्कुट विकास	
02 - राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम	
0201 - इन्नोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट फार ब्रायलर बर्डस (के.60/रा.40-के.+रा.)	
27 - सब्सिडी	135.00
योग : 0201	135.00
0202 - इन्नोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट फार लोइनपुट टेक्नो लाजी बर्डस (के.60/रा.40-के.+रा.)	
27 - सब्सिडी	62.40
योग : 0202	62.40
योग : 02	197.40
योग : 103	197.40
107 - चारा और चारागाह विकास	
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0106 - परती (वेस्ट लैण्ड)/गोचर भूमि पर चारागाह विकास (के.60/रा.40-के.)	

	धनराशि
02 - मजदूरी	5.79
42 - अन्य व्यय	6.95
43 - सामग्री एवं सम्पूर्ति	19.68
योग : 0106	32.42
योग : 01	32.42
योग : 107	32.42
113 - प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी	
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0105 - 20 वी पशुगणना कार्यक्रम (के.100/रा.0-के.)	
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	38.00
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	93.38
42 - अन्य व्यय	7.70
44 - प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	50.34
योग : 01	189.42
योग : 113	189.42
योग : 2403	1701.66
योग : राजस्व लेखा	1701.66
पूँजी लेखा-----	
4403 - पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	
107 - चारा तथा चारागाह विकास	
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0101 - राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों/राजकीय गोसदनों/जिला गोसदनों की परती (वेस्ट लैण्ड)/गोचर भूमि पर चारागाह विकास की योजना (के.60/रा.40-रा.)	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	42.85
योग : 0101	42.85
योग : 01	42.85
योग : 107	42.85
योग : 4403	42.85
योग : पूँजी लेखा	42.85

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों / राजकीय गो-सदनों तथा जिला गो-सदनों की परती (वेस्ट लैण्ड) एवं गोचर भूमि पर चारागाह विकास की योजना हेतु राजस्व पक्ष में रुपये 32,42,000 तथा पूंजीगत पक्ष में रुपये 42,85,000 अर्थात् कुल रुपये 7527000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. 20 वीं पशुगणना कार्यक्रम हेतु रुपये 18942000 की आवश्यकता ।
3. मण्डल स्तर पर पं0 दीनदयाल उपाध्याय वृहद पशु आरोग्य शिविरों / मेलों के आयोजन हेतु रुपये 25000000 की आवश्यकता ।
4. न्याय पंचायत स्तर पर पं0 दीनदयाल उपाध्याय वृहद पशु आरोग्य शिविरों / मेलों के आयोजन हेतु रुपये 25000000 की आवश्यकता ।
5. इन्वेस्टिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट फार ब्रायलर बर्ड्स हेतु रुपये 13500000 की आवश्यकता ।
6. गोवंशीय पशुओं में सेक्सड सीमिन के उपयोग की योजना हेतु रुपये 1000 की आवश्यकता । आवश्यकतानुसार धनराशि अनुदान में हो रही बचतों से वहन की जायेगी ।
7. इन्वेस्टिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट फार लो इनपुट टेक्नोलाजी बर्ड्स योजना हेतु रुपये 6240000 की आवश्यकता ।
8. पशुपालन निदेशालय में विद्युत देयों हेतु रुपये 30100000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
9. वाराणसी में आयोजित पशु आरोग्य मेला के आयोजन हेतु रुपये 38141000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
10. पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार योजनान्तर्गत पशु चिकित्साधिकारियों के वेतन आदि हेतु रुपये 10000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 16

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 2)के पृष्ठ संख्या 143-148 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	7441.08	19480.51	26921.59
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	50.00	...	50.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	7491.08	19480.51	26971.59
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2404 - डेरी विकास

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें

16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

50.00

योग : 03

50.00

योग : 001

50.00

योग : 2404

50.00

योग : राजस्व लेखा

50.00

योग : अनुपूरक

50.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. दुग्धशाला विकास विभाग की दुग्ध सप्लाई योजना हेतु रुपये 5000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 18

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 2)के पृष्ठ संख्या 157-168 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	33092.60	1600.01	34692.61
	भारित	1269.66	1522.01	2791.67
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	47.32	...	47.32
	भारित	...	409.03	409.03
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	33139.92	1600.01	34739.93
	भारित	1269.66	1931.04	3200.70

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2425 - सहकारिता

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण

02 - मजदूरी

3.50

09 - विद्युत देय

31.00

योग : 03

34.50

06 - उ.प्र. सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल

01 - वेतन

11.62

06 - अन्य भत्ते

1.20

योग : 06

12.82

योग : 001

47.32

योग : 2425

47.32

योग : राजस्व लेखा

47.32

पूँजी लेखा-----

6003 - राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण

108 - राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज

03 - लिये गये ऋण का प्रतिदान

30 - निवेश/ऋण

मतदेय

--

भारित

409.03

		धनराशि
योग : 03	मतदेय	--
	भारित	409.03
योग : 108	मतदेय	--
	भारित	409.03
योग : 6003	मतदेय	--
	भारित	409.03
योग : पूँजी लेखा	मतदेय	--
	भारित	409.03
योग : अनुपूरक	मतदेय	47.32
	भारित	409.03

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल हेतु रूपये 4732000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) से दिये गये ऋणों के प्रतिदान हेतु रूपये 40903000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 21

खाघ तथा रसद विभाग

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 3)के पृष्ठ संख्या 13-26 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	43326.25	1201600.00	1244926.25
	भारित	3.50	0.50	4.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	2129.80	...	2129.80
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	45456.05	1201600.00	1247056.05
	भारित	3.50	0.50	4.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2408 - खाघ भण्डारण तथा भांडागार

01 - खाघ

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति)

01 - वेतन 2000.00

03 - मंहगाई भत्ता 50.00

09 - विद्युत देय 60.00

योग : 03 2110.00

04 - राष्ट्रीय खाघ सुरक्षा अधिनियम , 2013

0401 - राज्य खाघ आयोग

31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) 19.80

योग : 0401 19.80

योग : 04 19.80

योग : 001 2129.80

योग : 2408 2129.80

योग : राजस्व लेखा 2129.80

योग : अनुपूरक 2129.80

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. खाद्य तथा रसद विभाग के कार्यालयों के अधिष्ठान व्यय हेतु रूपये 211000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. राज्य खाद्य आयोग के मा0 अध्यक्ष, / सदस्यगण के वेतन हेतु रूपये 1980000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 22

खेल विभाग

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 3)के पृष्ठ संख्या 27-38 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	9114.78	13226.54	22341.32
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	116.00	...	116.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	9230.78	13226.54	22457.32
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2204 - खेल कूद तथा युवा सेवायें

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - खेलकूद निदेशालय

09 - विद्युत देय

100.00

योग : 03

100.00

योग : 001

100.00

104 - खेलकूद

11 - क्रीडा एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन (राज्य से.)

42 - अन्य व्यय

16.00

योग : 11

16.00

योग : 104

16.00

योग : 2204

116.00

योग : राजस्व लेखा

116.00

योग : अनुपूरक

116.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. खेल विभाग के कार्यालयों के लम्बित विद्युत देयों के भुगतान हेतु रूपये 10000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. ब्रह्मलीन परम पूज्य महन्त अवैधनाथ जी महाराज की स्मृति में गोरखपुर में अखिल भारतीय प्राइमनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कराये जाने हेतु रूपये 1600000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 24

गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 3)के पृष्ठ संख्या 49-58 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	7916.19	69110.26	77026.45
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	24992.00	24992.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	7916.19	94102.26	102018.45
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

6860 - उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

04 - चीनी

101 - सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज

03 - उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु कर्ज

30 - निवेश/ऋण

20000.00

योग : 03

20000.00

14 - सहकारी चीनी मिलों में एन 0 जी0 टी0 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार वायु एवं जल प्रदूषण नियन्त्रण संयन्त्र की स्थापना एवं आधुनिकीकरण हेतु कर्ज

30 - निवेश/ऋण

4992.00

योग : 14

4992.00

योग : 101

24992.00

योग : 6860

24992.00

योग : पूँजी लेखा

24992.00

योग : अनुपूरक

24992.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों में वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु संयंत्रों की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश राज्य आकस्मिकता निधि से वित्तीय वर्ष 2017-2018 में स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए 499200000 की आवश्यकता ।
2. उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लि0 की चीनी मिलों को पैराई सत्र 2016-17 के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में उत्तर प्रदेश

राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए 2000000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 25

गृह विभाग (कारागार)

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 3)के पृष्ठ संख्या 59-70 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	66757.36	23597.40	90354.76
	भारित	10.00	...	10.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	700.00	242.47	942.47
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	67457.36	23839.87	91297.23
	भारित	10.00	...	10.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2056 - जेलें

101 - जेल

03 - समस्त कारागार

09 - विधुत देय

700.00

योग : 03

700.00

योग : 101

700.00

योग : 2056

700.00

योग : राजस्व लेखा

700.00

पूँजी लेखा-----

4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

80 - सामान्य

051 - निर्माण

04 - कारागारों में जलपूर्ति एवं स्वच्छता में सुधार

24 - बृहत् निर्माण कार्य

242.47

योग : 04

242.47

योग : 051

242.47

योग : 4059

242.47

	धनराशि
योग : पूँजी लेखा	242.47
योग : अनुपूरक	942.47

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. कारागारों के विद्युत देयों के भुगतान हेतु रूपये 70000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. जिला कारागार बलिया, इटावा, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोण्डा, देवरिया व केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में शौचालय का निर्माण तथा जिला कारागार वाराणसी, मऊ, हमीरपुर, गोण्डा एवं गाजीपुर में मुलाकातियों हेतु शौचालयों के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु रूपये 24247000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 26

गृह विभाग (पुलिस)

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 3)के पृष्ठ संख्या 71-118 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1541902.00	69616.63	1611518.63
	भारित	156.71	...	156.71
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	15241.35	1245.52	16486.87
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1557143.35	70862.15	1628005.50
	भारित	156.71	...	156.71

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2055 - पुलिस

001 - निदेशन और प्रशासन

03 - मुख्य

09 - विद्युत देय

15.00

योग : 03

15.00

योग : 001

15.00

003 - शिक्षा और प्रशिक्षण

04 - शिक्षा और प्रशिक्षण मुख्य

09 - विद्युत देय

50.00

योग : 04

50.00

योग : 003

50.00

101 - आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता

03 - अभिसूचना अनुभाग-मुख्य-

09 - विद्युत देय

10.00

योग : 03

10.00

04 - अनुसंधान अनुभाग--

0403 - अनुसंधान की अपराध शाखा तथा अन्य इकाईयां---

09 - विद्युत देय

25.00

योग : 0403

25.00

0406 - स्पेशल टास्क फोर्स

	धनराशि
09 - विद्युत देय	60.00
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	32.07
योग : 0406	92.07
0408 - आतंकवाद निरोधक दस्ता	
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	24.28
योग : 0408	24.28
योग : 04	141.35
योग : 101	151.35
104 - विशेष पुलिस	
03 - राज्य शस्त्र कान्सटेबुलरी-मुख्य-	
09 - विद्युत देय	3000.00
योग : 03	3000.00
योग : 104	3000.00
108 - राज्य मुख्यालय पुलिस	
03 - राज्य पुलिस मुख्यालय--	
09 - विद्युत देय	65.00
योग : 03	65.00
योग : 108	65.00
109 - जिला पुलिस	
03 - जिला पुलिस (मुख्य)	
09 - विद्युत देय	10497.14
योग : 03	10497.14
04 - राज्य रेडियो अनुभाग- मुख्य-	
09 - विद्युत देय	19.00
योग : 04	19.00
05 - मोटर परिवहन अनुभाग- मुख्य	
09 - विद्युत देय	10.00
योग : 05	10.00
13 - डायल-100 परियोजना	
09 - विद्युत देय	182.00

	धनराशि
	182.00
योग : 13	182.00
योग : 109	10708.14
111 - रेलवे पुलिस	
03 - मुख्य	
09 - विद्युत देय	45.00
	45.00
योग : 03	45.00
योग : 111	45.00
116 - न्यायालयिक विज्ञान	
03 - विधि विज्ञान प्रयोगशालायें	
09 - विद्युत देय	44.37
	44.37
योग : 03	44.37
योग : 116	44.37
योग : 2055	14078.86
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें	
108 - अग्नि से बचाव तथा नियन्त्रण	
03 - प्रशासन	
09 - विद्युत देय	1037.49
14 - मोटर गाड़ियों का क्रय	10.00
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	25.00
	1072.49
योग : 03	1072.49
योग : 108	1072.49
800 - अन्य व्यय	
04 - राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन	
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	90.00
	90.00
योग : 04	90.00
योग : 800	90.00
योग : 2070	1162.49
योग : राजस्व लेखा	15241.35

पूँजी लेखा-----

4055 - पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय

207 - राज्य पुलिस

	धनराशि
19 - स्पेशल टास्क फोर्स	
14 - मोटर गाड़ियों का क्रय	320.67
योग : 19	320.67
22 - आतंकवाद निरोधक दस्ता	
14 - मोटर गाड़ियों का क्रय	424.85
योग : 22	424.85
योग : 207	745.52
211 - पुलिस आवास	
09 - अग्निशमन केन्द्र के आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण	
24 - बृहत् निर्माण कार्य	500.00
योग : 09	500.00
योग : 211	500.00
योग : 4055	1245.52
योग : पूँजी लेखा	1245.52
योग : अनुपूरक	16486.87

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के वेतन भत्तों आदि हेतु रुपये 9000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. आतंकवाद निरोधक दस्ता को ऑपरेशनल कार्यों के लिये तेज गति वाहनों के क्रय एवं संचालन हेतु रुपये 44913000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. स्पेशल टास्क फोर्स के लिये 24 नये चार पहिया वाहन तथा 100 दो पहिया वाहन हेतु रुपये 35274000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. जनपद उन्नाव की तहसील बीघापुर में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना हेतु रुपये 53500000 की आवश्यकता ।
5. गृह (पुलिस) विभाग में विभिन्न मदों हेतु रुपये 1506000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 30

गोपन विभाग(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य

व्यय)

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 3)के पृष्ठ संख्या 143-146 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	560.79	...	560.79
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	30.00	...	30.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	590.79	...	590.79
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2053 - जिला प्रशासन

093 - जिला स्थापनाएं

03 - कलक्टरी स्थापना

23 - गुप्त सेवा व्यय

30.00

योग : 03

30.00

योग : 093

30.00

योग : 2053

30.00

योग : राजस्व लेखा

30.00

योग : अनुपूरक

30.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. गृह (गोपन) विभाग में अभिसूचना संकलन क लिये गुप्त सेवा व्यय हेतु रुपये 3000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 31

चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 4)के पृष्ठ संख्या 1-36 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	237639.94	114904.86	352544.80
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	33835.35	8700.00	42535.35
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	271475.29	123604.86	395080.15
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

01 - शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी

110 - अस्पताल तथा औषधालय

15 - मेडिकल कालेज / सम्बद्ध अस्पताल

1502 - सरोजनी नायडू चिकित्सालय संबद्ध चिकित्सालय आगरा

08 - कार्यालय व्यय 2.00

09 - विद्युत देय 100.00

12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण 3.00

15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद 2.25

17 - किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व 98.20

39 - औषधि तथा रसायन 800.00

41 - भोजन व्यय 6.50

42 - अन्य व्यय 10.00

43 - सामग्री एवं सम्पूर्ति 425.00

47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय 1.00

योग : 1502 1447.95

1503 - लालालाजपत राय चिकित्सालय तथा सम्बद्ध बाल चिकित्सालय कानपुर

10 - जलकर / जल प्रभार 350.00

17 - किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व 800.00

	धनराशि
29 - अनुरक्षण	100.00
39 - औषधि तथा रसायन	800.00
42 - अन्य व्यय	10.00
43 - सामग्री एवं सम्पूर्ति	100.00
योग : 1503	2160.00
1504 - न्यू स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय तथा बाल चिकित्सालय इलाहाबाद	
08 - कार्यालय व्यय	1.50
09 - विद्युत देय	225.00
10 - जलकर / जल प्रभार	35.00
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.00
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.75
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1.25
17 - किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	130.99
29 - अनुरक्षण	73.50
39 - औषधि तथा रसायन	940.00
40 - औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	10.00
41 - भोजन व्यय	20.00
42 - अन्य व्यय	15.00
43 - सामग्री एवं सम्पूर्ति	82.40
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	5.00
योग : 1504	1541.39
1505 - वक्ष चिकित्सालय कानपुर	
39 - औषधि तथा रसायन	50.00
योग : 1505	50.00
1506 - अपर इण्डिया सूगर एक्स्रेंज प्रसूति चिकित्सालय कानपुर	
29 - अनुरक्षण	3.00
42 - अन्य व्यय	0.20
योग : 1506	3.20

	धनराशि
1507 - महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झांसी से सम्बद्ध चिकित्सालय	
08 - कार्यालय व्यय	2.00
09 - विघृत देय	204.00
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.00
29 - अनुरक्षण	10.05
39 - औषधि तथा रसायन	1039.93
40 - औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	5.00
41 - भोजन व्यय	20.00
42 - अन्य व्यय	10.00
43 - सामग्री एवं सम्पूर्ति	205.39
योग : 1507	1501.37

1508 - सरदार बल्लभ भाई पटेल शिक्षण चिकित्सालय मेरठ	
08 - कार्यालय व्यय	3.00
09 - विघृत देय	300.00
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	6.00
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.00
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	4.50
29 - अनुरक्षण	57.00
39 - औषधि तथा रसायन	967.60
40 - औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	20.00
41 - भोजन व्यय	18.00
42 - अन्य व्यय	20.00
43 - सामग्री एवं सम्पूर्ति	200.00
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	3.00
योग : 1508	1604.10

1509 - नेहरू चिकित्सालय गोरखपुर	
08 - कार्यालय व्यय	10.00
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	19.00
29 - अनुरक्षण	42.18
39 - औषधि तथा रसायन	1339.30

	धनराशि	
41 - भोजन व्यय	34.48	
43 - सामग्री एवं सम्पूर्ति	739.87	
योग : 1509	2184.83	
योग : 15	10492.84	
योग : 110	10492.84	
<hr/>		
05 - चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान		
001 - निदेशन तथा प्रशासन		
03 - निदेशन		
08 - कार्यालय व्यय	2.00	
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2.00	
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.00	
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3.00	
42 - अन्य व्यय	2.00	
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2.00	
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	3.00	
योग : 03	19.00	
योग : 001	19.00	
<hr/>		
105 - एलोपैथी		
03 - शिक्षा		
0312 - सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ		
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	130.00	
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	70.00	
योग : 0312	200.00	
<hr/>		
0324 - राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ		
39 - औषधि तथा रसायन	100.00	
41 - भोजन व्यय	10.00	
42 - अन्य व्यय	15.00	
43 - सामग्री एवं सम्पूर्ति	50.00	
0325 - डा. राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ		

	धनराशि
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	2500.00
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	1000.00
योग : 0325	3500.00
0326 - राजकीय मेडिकल कालेज बांदा	
09 - विद्युत देय	200.00
39 - औषधि तथा रसायन	150.00
41 - भोजन व्यय	10.00
43 - सामग्री एवं सम्पूर्ति	10.00
0328 - सरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई, इटावा	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	5140.75
योग : 0328	5140.75
0338 - मेडिकल कालेज आगरा	
08 - कार्यालय व्यय	1.30
09 - विद्युत देय	500.00
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.00
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10.00
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2.80
29 - अनुरक्षण	58.00
42 - अन्य व्यय	10.00
योग : 0338	583.10
0339 - गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर	
09 - विद्युत देय	100.00
29 - अनुरक्षण	37.14
योग : 0339	137.14
0340 - मेडिकल कालेज इलाहाबाद	
08 - कार्यालय व्यय	2.00
09 - विद्युत देय	75.00
10 - जलकर / जल प्रभार	38.57
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.25

	धनराशि
29 - अनुरक्षण	15.00
42 - अन्य व्यय	10.00
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2.00
योग : 0340	143.82
0341 - मेडिकल कालेज मेरठ	
13 - टेलीफोन पर व्यय	0.50
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1.00
29 - अनुरक्षण	10.00
42 - अन्य व्यय	10.00
0342 - मेडिकल कालेज झांसी	
08 - कार्यालय व्यय	1.00
09 - विद्युत देय	332.48
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.50
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.28
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1.40
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	1.00
29 - अनुरक्षण	36.38
42 - अन्य व्यय	40.00
योग : 0342	414.04
0343 - मेडिकल कालेज गोरखपुर	
09 - विद्युत देय	581.09
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3.00
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	13.72
29 - अनुरक्षण	124.30
42 - अन्य व्यय	30.00
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1.50
योग : 0343	753.61
0344 - गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलॉजिकल इन्स्टीट्यूट	
09 - विद्युत देय	50.00

	धनराशि
29 - अनुरक्षण	50.00
39 - औषधि तथा रसायन	200.00
42 - अन्य व्यय	150.00
43 - सामग्री एवं सम्पूर्ति	200.00
योग : 0344	650.00
0345 - डिग्री पाठकर्मों के लिये स्थापित नर्सिंग कालेज	
13 - टेलीफोन पर व्यय	0.05
योग : 0345	0.05
0366 - किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	7600.00
योग : 0366	7600.00
0368 - आसाध्य रोगों के इलाज हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1200.00
योग : 0368	1200.00
0370 - सुपर स्पेशलिटी: श्री बाल चिकित्सालय एवं पोस्ट ग्रेजुएट शैक्षणिक संस्थान, नोयडा की स्थापना	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	500.00
योग : 0370	500.00
0371 - चिकित्सा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा की स्थापना	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	600.00
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	700.00
योग : 0371	1300.00
0374 - राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं	
39 - औषधि तथा रसायन	100.00
42 - अन्य व्यय	15.00
43 - सामग्री एवं सम्पूर्ति	30.00
योग : 0374	145.00

	धनराशि
योग : 03	22834.01
05 - अनुसंधान	
0501 - जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर	
08 - कार्यालय व्यय	2.00
29 - अनुरक्षण	10.00
39 - औषधि तथा रसायन	50.00
40 - औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	2.50
41 - भोजन व्यय	5.00
42 - अन्य व्यय	5.00
43 - सामग्री एवं सम्पूर्ति	15.00
योग : 0501	89.50
योग : 05	89.50
14 - राजकीय मेडिकल कालेजों में पुस्तकों एवं जर्नल्स की व्यवस्था	
42 - अन्य व्यय	400.00
योग : 14	400.00
योग : 105	23323.51
योग : 2210	33835.35
योग : राजस्व लेखा	33835.35

पूँजी लेखा-----

4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

03 - चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

105 - एलोपैथी

03 - संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ

24 - वृहत् निर्माण कार्य 1000.00

26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र 500.00

योग : 03 1500.00

04 - डा. राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर, लखनऊ

24 - वृहत् निर्माण कार्य 2000.00

26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र 1938.00

	धनराशि
योग : 04	3938.00
06 - किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	2000.00
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	500.00
योग : 06	2500.00
13 - संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में टर्शरी केयर कैंसर केन्द्र की स्थापना (के.60/रा.40-के.+रा.)	
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	762.00
योग : 13	762.00
योग : 105	8700.00
योग : 4210	8700.00
योग : पूँजी लेखा	8700.00
योग : अनुपूरक	42535.35

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. राजकीय मेडिकल कालेज / संस्थान /स्वायत्तशासी संस्थान / चिकित्सा विश्वविद्यालयों के लिए विभिन्न मानक मदों हेतु रुपये 4253535000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 32

चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 4)के पृष्ठ संख्या 37-54 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	583864.69	67800.93	651665.62
	भारित	20.00	...	20.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	10193.74	...	10193.74
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	594058.43	67800.93	661859.36
	भारित	20.00	...	20.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

01 - शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी

110 - अस्पताल तथा औषधालय

04 - एलोपैथी एक्रीकृत चिकित्सालय और औषधालय

10 - जलकर / जल प्रभार

200.00

16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

1000.00

योग : 04

1200.00

10 - उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कार्पोरेशन

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

500.00

योग : 10

500.00

97 - बाह्य सहायतित परियोजनायें

9701 - हेल्थ सिस्टम परियोजनायें (यू.पी.एच.एस.पी.के अन्तर्गत सुदृढीकरण)

16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

8293.74

40 - औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा

200.00

योग : 9701

8493.74

योग : 97

8493.74

योग : 110

10193.74

	धनराशि
योग : 2210	10193.74
योग : राजस्व लेखा	10193.74
योग : अनुपूरक	10193.74

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम स्ट्रेथनिंग परियोजना के क्रियान्वयन के लिये विभिन्न मदों हेतु रुपये 849374000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. राजकीय चिकित्सालयों तथा औषधालयों हेतु जलकर एवं जल प्रभार तथा व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु रुपये 120000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन की स्थापना हेतु रुपये 50000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 35

चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 4)के पृष्ठ संख्या 83-97 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	488704.12	16761.95	505466.07
	भारित	26.00	...	26.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	29158.74	...	29158.74
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	517862.86	16761.95	534624.81
	भारित	26.00	...	26.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2211 - परिवार कल्याण

101 - ग्रामीण परिवार कल्याण सेवायें

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0102 - ग्रामीण उप केन्द्र(परिवार कल्याण के अन्तर्गत खोले गये) (के.100/रा.00-के.)

49 - चिकित्सा व्यय

60.00

योग : 0102

60.00

योग : 01

60.00

योग : 101

60.00

800 - अन्य व्यय

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0102 - प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना (के.60/रा.40-रा.)

42 - अन्य व्यय

29098.74

योग : 0102

29098.74

योग : 01

29098.74

योग : 800

29098.74

योग : 2211

29158.74

योग : राजस्व लेखा

29158.74

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. मातृत्व लाभ योजना- प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के क्रियान्वयन हेतु रुपये 2909874000 की आवश्यकता ।
2. परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत ग्रामीण उपकेन्द्र हेतु रुपये 6000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 36

चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 4)के पृष्ठ संख्या 99-107 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	66706.48	1063.00	67769.48
	भारित	2.00	...	2.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	1185.00	...	1185.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	67891.48	1063.00	68954.48
	भारित	2.00	...	2.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

06 - लोक स्वास्थ्य सेवायें

001 - निदेशन तथा प्रशासन

04 - खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय की स्थापना

01 - वेतन	1000.00
09 - विद्युत देय	65.00
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	100.00
49 - चिकित्सा व्यय	20.00

योग : 04 1185.00

योग : 001 1185.00

योग : 2210 1185.00

योग : राजस्व लेखा 1185.00

योग : अनुपूरक 1185.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि रूपये 118500000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 37

नगर विकास विभाग

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-29 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1174351.31	144550.03	1318901.34
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	5080.00	10000.00	15080.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1179431.31	154550.03	1333981.34
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2052 - सचिवालय-सामान्य सेवायें

092 - अन्य कार्यालय

03 - स्थानीय निकाय निदेशालय

01 - वेतन

75.00

49 - चिकित्सा व्यय

5.00

योग : 03

80.00

योग : 092

80.00

योग : 2052

80.00

2217 - शहरी विकास

03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता

05 - पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत

35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान

5000.00

योग : 05

5000.00

योग : 193

5000.00

योग : 2217

5000.00

योग : राजस्व लेखा

5080.00

पूँजी लेखा-----

4215 - जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

01 - जलपूर्ति

101 - शहरी जल पूर्ति

97 - बाह्य सहायतित योजनाएं

9701 - आगरा जलापूर्ति (पलरा)योजना (जे.बी.आई.सी.सहायतित)

24 - वृहत् निर्माण कार्य

	धनराशि
	10000.00
योग : 9701	10000.00
योग : 97	10000.00
योग : 101	10000.00
योग : 4215	10000.00
योग : पूंजी लेखा	10000.00
योग : अनुपूरक	15080.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. स्थानीय निकाय निदेशालय के अन्तर्गत अधिष्ठान व्यय हेतु रूपये 8000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. जायका सहायतित, आगरा जल सम्पूर्ति योजना हेतु रूपये 1000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. पं दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना हेतु रूपये 500000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 38

नागरिक उड्डयन विभाग

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 31-36 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	5060.21	42200.00	47260.21
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	20000.00	20000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	5060.21	62200.00	67260.21
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

5053 - नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय

02 - विमान पत्तन

800 - अन्य व्यय

20 - हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढीकरण तथा भूमि अर्जन

24 - वृहत् निर्माण कार्य

20000.00

योग : 20

20000.00

योग : 800

20000.00

योग : 5053

20000.00

योग : पूँजी लेखा

20000.00

योग : अनुपूरक

20000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. नागरिक उड्डयन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं हेतु रूपये 2000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 40

नियोजन विभाग

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 45-71 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	42437.13	93410.00	135847.13
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	67.00	3599.00	3666.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	42504.13	97009.00	139513.13
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

3451 - सचिवालय आर्थिक सेवायें

092 - अन्य कार्यालय

03 - राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग)

09 - विद्युत देय

67.00

योग : 03

67.00

योग : 092

67.00

योग : 3451

67.00

योग : राजस्व लेखा

67.00

पूँजी लेखा-----

4575 - अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय

06 - बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम

102 - ग्रामीण जलपूर्ति

03 - जलापूर्ति कार्यक्रमों हेतु एकमुश्त व्यवस्था

24 - वृहत् निर्माण कार्य

1017.96

योग : 03

1017.96

योग : 102

1017.96

201 - बेसिक शिक्षा

03 - विद्यालय का भवन/विस्तार/बाउन्ड्रीवाल के निर्माण के लिए एकमुश्त व्यवस्था

24 - वृहत् निर्माण कार्य

338.64

	धनराशि
योग : 03	338.64
योग : 201	338.64
337 - सडक निर्माण कार्य	
03 - सडकों के लिए एकमुश्त व्यवस्था	
24 - बृहत् निर्माण कार्य	993.10
योग : 03	993.10
योग : 337	993.10
800 - अन्य व्यय	
03 - सामुदायिक / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों के भवन निर्माण/विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24 - बृहत् निर्माण कार्य	597.09
योग : 03	597.09
05 - वन रक्षक चौकी एवं वन दरोगा आवास हेतु एकमुश्त व्यवस्था	
24 - बृहत् निर्माण कार्य	246.54
योग : 05	246.54
06 - आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था	
24 - बृहत् निर्माण कार्य	44.82
योग : 06	44.82
07 - सामुदायिक भवनों का निर्माण	
24 - बृहत् निर्माण कार्य	295.57
योग : 07	295.57
11 - मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था	
24 - बृहत् निर्माण कार्य	47.90
योग : 11	47.90
14 - हेरिटेज वर्क शेड थारु शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र/ विक्रय एवं प्रदर्शन केन्द्र/नृत्य संगीत केन्द्र / हट आदि निर्माण के लिए एकमुश्त व्यवस्था	
24 - बृहत् निर्माण कार्य	17.38
योग : 14	17.38
योग : 800	1249.30
योग : 4575	3599.00
योग : पूँजी लेखा	3599.00

योग : अनुपूरक

धनराशि

3666.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. राज्य नियोजन संस्थान के विद्युत देय के भुगतान हेतु रूपये 6700000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु रूपये 359900000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 41

निर्वाचन विभाग

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 73-80 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	22753.78	100.00	22853.78
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	1000.00	...	1000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	23753.78	100.00	23853.78
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2015 - निर्वाचन

106 - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधानमण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार

03 - सामान्य निर्वाचन-राज्य विधान सभा

08 - कार्यालय व्यय

	1000.00
योग : 03	1000.00
योग : 106	1000.00
योग : 2015	1000.00
योग : राजस्व लेखा	1000.00
योग : अनुपूरक	1000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. ई.वी.एम. तथा वी.वी.पैट की मरम्मत आदि के भुगतान हेतु रुपये 100000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 42

न्याय विभाग

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 81-106 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	198173.45	136777.98	334951.43
	भारित	37041.86	500.00	37541.86
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	300.00	30000.00	30300.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	198473.45	166777.98	365251.43
	भारित	37041.86	500.00	37541.86

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2014 - न्याय प्रशासन

105 - सिविल और सेशन न्यायालय

16 - कामर्शियल कोर्ट

01 - वेतन	34.40
03 - मंहगाई भत्ता	25.76
04 - यात्रा व्यय	0.29
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.08
06 - अन्य भत्ते	4.09
07 - मानदेय	0.01
08 - कार्यालय व्यय	1.87
09 - विद्युत देय	0.26
10 - जलकर / जल प्रभार	0.09
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.72
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	8.63
13 - टेलीफोन पर व्यय	0.72
17 - किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	0.36
42 - अन्य व्यय	0.50
44 - प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.36
45 - अवकाश यात्रा व्यय	1.29

	धनराशि
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	17.27
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.72
49 - चिकित्सा व्यय	1.44
51 - वर्दी व्यय	0.14
योग : 16	100.00
योग : 105	100.00
योग : 2014	100.00
2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	
60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम	
200 - अन्य कार्यक्रम	
04 - राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण	
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	200.00
योग : 04	200.00
योग : 200	200.00
योग : 2235	200.00
योग : राजस्व लेखा	300.00
पूँजी लेखा-----	
4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	
01 - कार्यालय भवन	
051 - निर्माण	
04 - मा. उच्च न्यायालय में निर्माण	
24 - बृहत् निर्माण कार्य	17500.00
योग : 04	17500.00
योग : 051	17500.00
052 - मशीनरी तथा उपस्कर	
03 - अधीनस्थ न्यायालय की सुरक्षा हेतु सी0 सी0 टी0 वी0 कैमरा एवं अन्य सुरक्षा उपकरण	
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	2500.00
योग : 03	2500.00
योग : 052	2500.00

60 - अन्य भवन

051 - निर्माण

05 - न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में छात्रावास का विस्तार, जिमनेजियम तथा अतिथिगृह का निर्माण

24 - वृहत् निर्माण कार्य 500.00

योग : 05 500.00

योग : 051 500.00

योग : 4059 20500.00

4216 - आवास पर पूंजीगत परिव्यय

01 - सरकारी रिहायशी भवन

700 - अन्य आवास

07 - मा. उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के लिए आवासीय भवनों का निर्माण

24 - वृहत् निर्माण कार्य 5000.00

योग : 07 5000.00

10 - माननीय उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के लिये भवनों का निर्माण

24 - वृहत् निर्माण कार्य 4500.00

योग : 10 4500.00

योग : 700 9500.00

योग : 4216 9500.00

योग : पूंजी लेखा 30000.00

योग : अनुपूरक 30300.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में सी.सी.टी.वी. कैमरा एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों की स्थापना हेतु रुपये 250000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. वाणिज्यिक विवादों के शीघ्र निस्तारण हेतु नवगठित कामर्शियल कोर्ट्स के संचालन हेतु रुपये 10000000 की आवश्यकता ।
3. मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मा0 न्यायमूर्तिगण के लिये आवासीय भवन, आडिटोरियम, प्रशिक्षण केन्द्र एवं अन्य एलाइड भवनों का निर्माण हेतु रुपये 2250000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. प्रदेश के 20 जनपदों के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पूर्णकालिक सचिव, आशुलिपिक एवं अर्दली को मानदेय हेतु रुपये 20000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के कर्मचारियों के भवनों के निर्माण हेतु क्रय की जाने वाली भूमि के प्रतिकर भुगतान हेतु रुपये 2000 लाख तथा भवनों के निर्माण

हेतु रूपये 2500 लाख अर्थात कुल रूपये 450000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

6. न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु रूपये 50000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 43

परिवहन विभाग

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 107-118 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	26479.96	13004.78	39484.74
	भारित	0.01	...	0.01
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	148.00	182.54	330.54
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	26627.96	13187.32	39815.28
	भारित	0.01	...	0.01

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

200 - अन्य कार्यक्रम

04 - बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की बस में दुर्घटना हो जाने की दशा में आर्थिक सहायता

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

4.00

योग : 04

4.00

योग : 200

4.00

योग : 2235

4.00

3055 - सड़क परिवहन

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - अधिष्ठान व्यय

09 - विद्युत देय

48.00

49 - चिकित्सा व्यय

96.00

योग : 03

144.00

योग : 001

144.00

योग : 3055

144.00

योग : राजस्व लेखा

148.00

पूँजी लेखा-----

4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

01 - कार्यालय भवन

051 - निर्माण

03 - सम्भागीय / सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय का निर्माण

24 - वृहत् निर्माण कार्य

182.54

योग : 03

182.54

योग : 051

182.54

योग : 4059

182.54

योग : पूंजी लेखा

182.54

योग : अनुपूरक

330.54

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. बस यात्रा में दुर्घटना हो जाने की दशा में मृतकों / घायलों को आर्थिक सहायता हेतु रुपये 400000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. सम्भागीय / सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय देवीपाटन-गोण्डा तथा सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, हाथरस में सारथी हाल के निर्माण हेतु रुपये 18254000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. परिवहन आयुक्त कार्यालय के विद्युत देय एवं चिकित्सा व्यय हेतु रुपये 14400000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 44

पर्यटन विभाग

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 119-130 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	3462.84	243099.78	246562.62
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	900.00	300.00	1200.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	4362.84	243399.78	247762.62
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

3452 - पर्यटन

80 - सामान्य

800 - अन्य व्यय

03 - पर्यटन सूचना और प्रचार

19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय

500.00

योग : 03

500.00

12 - मेले / महोत्सवों के आयोजन हेतु

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

200.00

योग : 12

200.00

13 - राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेवल मार्ट, कान्फ्रेंस, कन्वेंशन तथा ट्रेवल ट्रेड के संबंध में

42 - अन्य व्यय

200.00

योग : 13

200.00

योग : 800

900.00

योग : 3452

900.00

योग : राजस्व लेखा

900.00

पूँजी लेखा-----

5452 - पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय

80 - सामान्य

	धनराशि
104 - संवर्धन तथा प्रचार	
08 - पर्यटन स्थलों का विकास	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	200.00
योग : 08	200.00
13 - जनपद चित्रकूट की योजनाएं	
1303 - चित्रकूट में रामघाट का सौन्दर्यीकरण	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	100.00
योग : 1303	100.00
योग : 13	100.00
योग : 104	300.00
योग : 5452	300.00
योग : पूँजी लेखा	300.00
योग : अनुपूरक	1200.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. जनपद चित्रकूट में रामघाट के सौन्दर्यीकरण / विस्तारीकरण हेतु रुपये 10000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. मेले / महोत्सव के आयोजन हेतु रुपये 20000000 की आवश्यकता ।
3. पर्यटन स्थलों के विकास हेतु रुपये 20000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेवल मार्ट, कान्फ्रैन्स, कन्वेंशन तथा ट्रेवल ट्रेड हेतु रुपये 20000000 की आवश्यकता ।
5. प्रदेश के पर्यटन स्थलों के प्रचार-प्रसार हेतु रुपये 50000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 46

प्रशासनिक सुधार विभाग

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 137-142 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1769.34	...	1769.34
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	10.00	...	10.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1779.34	...	1779.34
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2052 - सचिवालय-सामान्य सेवायें

091 - संलग्न कार्यालय

04 - प्रशासनिक सुधार निदेशालय

01 - वेतन

	10.00
योग : 04	10.00
योग : 091	10.00
योग : 2052	10.00
योग : राजस्व लेखा	10.00
योग : अनुपूरक	10.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. प्रशासनिक सुधार निदेशालय में वेतन मद हेतु रूपये 1000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 48

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 163-183 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	212788.37	34771.19	247559.56
	भारित	1.80	...	1.80
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	7400.00	1000.00	8400.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	220188.37	35771.19	255959.56
	भारित	1.80	...	1.80

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

80 - सामान्य

800 - अन्य व्यय

03 - अल्प संख्यकों का कल्याण

0304 - अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

7400.00

योग : 0304

7400.00

योग : 03

7400.00

योग : 800

7400.00

योग : 2225

7400.00

योग : राजस्व लेखा

7400.00

पूँजी लेखा-----

4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

01 - सामान्य शिक्षा

800 - अन्य व्यय

05 - अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शैक्षणिक हब की स्थापना

24 - वृहत् निर्माण कार्य

1000.00

	धनराशि
योग : 05	1000.00
योग : 800	1000.00
योग : 4202	1000.00
योग : पूँजी लेखा	1000.00
योग : अनुपूरक	8400.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शैक्षणिक हब की स्थापना हेतु रुपये 100000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन / गरीब अभिभावकों की पुत्रियों के विवाह हेतु रुपये 740000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 49

महिला एवं बाल कल्याण विभाग

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 185-205 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	615745.23	19601.00	635346.23
	भारित	10.00	...	10.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	24869.36	...	24869.36
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	640614.59	19601.00	660215.59
	भारित	10.00	...	10.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 - समाज कल्याण

102 - बाल कल्याण

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0128 - ई.सी.सी.ई. (अर्ली चाईल्ड हूड केयर एजुकेशन) प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट लैवल मास्टर ट्रेनर को ई.सी.सी.ई. प्रशिक्षण (के.60/रा.40-के.+रा.)

44 - प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय 1500.00

योग : 0128 1500.00

योग : 01 1500.00

14 - समन्वित बाल विकास योजना

1401 - आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को मानदेय

07 - मानदेय 10000.00

योग : 1401 10000.00

योग : 14 10000.00

योग : 102 11500.00

103 - महिला कल्याण

15 - निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण तथा उनके बच्चों को शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु अनुदान

1501 - जिला योजना

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 13369.36

	धनराशि
योग : 1501	13369.36
योग : 15	13369.36
योग : 103	13369.36
योग : 2235	24869.36
योग : राजस्व लेखा	24869.36
योग : अनुपूरक	24869.36

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को मानदेय हेतु रूपये 1000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. ई.सी.सी.ई. (अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन) प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु रूपये 1500000000 की आवश्यकता ।
3. पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं को पेंशन हेतु रूपये 1336936000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 52

राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 227-249 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	340334.19	5508.00	345842.19
	भारित	22.50	12.88	35.38
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	66.25	...	66.25
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	340400.44	5508.00	345908.44
	भारित	22.50	12.88	35.38

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2029 - भू-राजस्व

103 - भू-अभिलेख

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0101 - कृषि गणना

07 - मानदेय

66.25

योग : 0101

66.25

योग : 01

66.25

योग : 103

66.25

योग : 2029

66.25

योग : राजस्व लेखा

66.25

योग : अनुपूरक

66.25

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. कृषि गणना योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार को टैबुलेशन मद हेतु रूपये 6625000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 54

लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 6)के पृष्ठ संख्या 1-7 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	233272.75	...	233272.75
	भारित	4.00	...	4.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	170.00	...	170.00
	भारित
	मतदेय	233442.75	...	233442.75
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	भारित	4.00	...	4.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2059 - लोक निर्माण कार्य

80 - सामान्य

001 - निदेशन और प्रशासन

03 - निदेशन

49 - चिकित्सा व्यय

20.00

योग : 03

20.00

04 - कार्यकारी

49 - चिकित्सा व्यय

150.00

योग : 04

150.00

योग : 001

170.00

योग : 2059

170.00

योग : राजस्व लेखा

170.00

योग : अनुपूरक

170.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय हेतु रुपये 17000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	486792.09	1057175.00	1543967.09
	भारित	5.00	500.00	505.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	51940.20	51940.20
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	486792.09	1109115.20	1595907.29
	भारित	5.00	500.00	505.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

03 - राज्य राजमार्ग

337 - सड़क निर्माण कार्य

03 - राज्य राजमार्गों का निर्माण कार्य

0303 - राज्य राज मार्गों के सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था

24 - वृहत् निर्माण कार्य

7879.00

योग : 0303

7879.00

0306 - राज्य राजमार्गों के सुदृढीकरण / चौड़ीकरण के नए कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था

24 - वृहत् निर्माण कार्य

2363.70

योग : 0306

2363.70

योग : 03

10242.70

13 - एकमुश्त व्यवस्था

1328 - प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था

24 - वृहत् निर्माण कार्य

3939.50

योग : 1328

3939.50

योग : 13

3939.50

योग : 337

14182.20

04 - जिला तथा अन्य सड़कें

337 - सड़क निर्माण कार्य

13 - एक मुश्त व्यवस्था

1323 - राज्य / प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था (राज्य सेक्टर)

24 - वृहत् निर्माण कार्य 7879.00

योग : 1323 7879.00

1340 - जिला मुख्यालय को चार लेन से जोड़े जाने हेतु मार्गों का निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढीकरण

24 - वृहत् निर्माण कार्य 7879.00

योग : 1340 7879.00

1344 - प्रदेश में चिन्हित कोर रोड नेटवर्क से आच्छादित मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण के कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था

24 - वृहत् निर्माण कार्य 2000.00

योग : 1344 2000.00

योग : 13 17758.00

58 - राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण / सुदृढीकरण / चौड़ीकरण

24 - वृहत् निर्माण कार्य 10000.00

योग : 58 10000.00

75 - एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के बाईपास के निर्माण के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था

24 - वृहत् निर्माण कार्य 5000.00

योग : 75 5000.00

86 - नाबार्ड वित्त पोषित आर 0 आई 0 डी 0 एफ 0 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख / अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण के

नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था

24 - वृहत् निर्माण कार्य 5000.00

योग : 86 5000.00

योग : 337 37758.00

योग : 5054 51940.20

योग : पूँजी लेखा 51940.20

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण के चालू कार्यों हेतु रुपये 787900000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण के नये कार्यों हेतु रुपये 236370000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण के नये कार्यों हेतु रुपये 393950000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. प्रमुख / अन्य जिला मार्गों का निर्माण / चौड़ीकरण / सुदृढीकरण के चालू कार्यों हेतु रुपये 787900000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. जिला मुख्यालय को चार लेन से जोड़े जाने हेतु मार्गों का निर्माण / चौड़ीकरण / सुदृढीकरण के चालू कार्यों हेतु रुपये 787900000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. प्रदेश में चिन्हित कोर रोड नेटवर्क से आच्छादित मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण के कार्यों हेतु रुपये 200000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. राज्य सड़क निधि से सड़कों के निर्माण / चौड़ीकरण के कार्यों हेतु रुपये 1000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
8. एक लाख से अधिक आबादी के शहरों के बाईपास के निर्माण के चालू कार्यों हेतु रुपये 500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
9. नाबार्ड वित्त पोषित आर 0 आई 0 डी 0 एफ 0 योजना के अर्न्तगत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख / अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण के नये कार्यों हेतु रुपये 500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 59

लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 6)के पृष्ठ संख्या 51-70 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	20933.66	27060.24	47993.90
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	131.00	...	131.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	21064.66	27060.24	48124.90
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2059 - लोक निर्माण कार्य

60 - अन्य भवन

053 - रखरखाव तथा मरम्मत

05 - अन्य अतिथि गृहों के लिए व्यवस्था (मुम्बई एवं कलकत्ता)

0501 - अतिथि गृहों पर आवश्यक देयता

17 - किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व

131.00

योग : 0501

131.00

योग : 05

131.00

योग : 053

131.00

योग : 2059

131.00

योग : राजस्व लेखा

131.00

योग : अनुपूरक

131.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश राज्य अतिथि गृह, वाशी नवी मुम्बई के मालमत्ताकर / प्रापटी टैक्स के भुगतान हेतु रुपये 13100000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 62

वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 7)के पृष्ठ संख्या 69-83 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	3483572.63	10000.00	3493572.63
	भारित	3094.80	...	3094.80
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	180000.00	...	180000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	3663572.63	10000.00	3673572.63
	भारित	3094.80	...	3094.80

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2071 - पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ

01 - सिविल

101 - अधिवर्षिता और सेवा निवृत्ति भत्ते

03 - अधिवर्षिता और सेवा निवृत्ति भत्ते

0301 - दिनांक 08 नवम्बर 2000 तक के पेंशनरों की अधिवर्षिता पेंशन एवं सेवा निवृत्ति भत्ते

33 - पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ 45072.00

योग : 0301 45072.00

0302 - दिनांक 08 नवम्बर 2000 के पञ्चात के पेंशनरों की अधिवर्षिता पेंशन एवं सेवा निवृत्ति भत्ते

33 - पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ 30348.00

योग : 0302 30348.00

योग : 03 75420.00

योग : 101 75420.00

102 - पेंशन का राशिकृत मूल्य

03 - पेंशनों की राशिमूल्य(कम्प्यूटेड वैल्यू आफ पेंशन)

0301 - दिनांक 08 नवम्बर 2000 तक के पेंशनरों की पेंशन का राशिमूल्य (कम्प्यूटेड वैल्यू आफ पेंशन)

33 - पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ 14310.00

योग : 0301 14310.00

0302 - दिनांक 08 नवम्बर 2000 के पञ्चात के पेंशनरों की पेंशन का राशिमूल्य(कम्प्यूटेड वैल्यू आफ पेंशन)

	धनराशि	
33 - पेंशन/अनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	16758.00	
योग : 0302	16758.00	
योग : 03	31068.00	
योग : 102	31068.00	
104 - उपदान		
03 - उपदान		
0301 - दिनांक 08 नवम्बर 2000 तक के पेंशनरो का उपादान		
33 - पेंशन/अनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	8748.00	
योग : 0301	8748.00	
0302 - दिनांक 08 नवम्बर 2000 के पञ्चात् के पेंशनरो का उपादान		
33 - पेंशन/अनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	10800.00	
योग : 0302	10800.00	
योग : 03	19548.00	
योग : 104	19548.00	
105 - परिवार पेंशन		
03 - परिवार पेंशन		
0301 - दिनांक 08 नवम्बर 2000 तक के पेंशनरो की पारिवारिक पेंशन		
33 - पेंशन/अनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	19152.00	
योग : 0301	19152.00	
0302 - दिनांक 08 नवम्बर 2000 के पञ्चात् के पेंशनरो की पारिवारिक पेंशन		
33 - पेंशन/अनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	3366.00	
योग : 0302	3366.00	
योग : 03	22518.00	
योग : 105	22518.00	
109 - राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन		
12 - बेसिक शिक्षा परिषद् के कार्मिकों की पेंशन		
1201 - दिनांक 08 नवम्बर , 2000 तक सेवानिवृत्त शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सेवा नैवृत्तिक सुविधायें		
33 - पेंशन/अनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	29934.00	

	धनराशि
योग : 1201	29934.00
योग : 12	29934.00
योग : 109	29934.00

800 - अन्य व्यय

04 - राज्य सरकार के सेवा निवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवा निवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता
0402 - दिनांक 08 नवम्बर 2000 के पञ्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा उनके आश्रितों की विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता

49 - चिकित्सा व्यय	1512.00
योग : 0402	1512.00
योग : 04	1512.00
योग : 800	1512.00
योग : 2071	180000.00
योग : राजस्व लेखा	180000.00
योग : अनुपूरक	180000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. राज्य सरकार एवं राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को सेवानैवृत्तिक हित लाभ के भुगतान हेतु विभिन्न मदों में रूपये 18000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	18657.05	286.72	18943.77
	भारित	143.20	...	143.20
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	890.39	890.39
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	18657.05	1177.11	19834.16
	भारित	143.20	...	143.20

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

80 - सामान्य

800 - अन्य व्यय

03 - विधान सभा सचिवालय स्थित राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन हाल में माननीय विधान सभा अध्यक्षों के आदमकद तैल चित्रों की स्थापना

42 - अन्य व्यय

7.23

योग : 03

7.23

04 - विधान सभा सचिवालय स्थित चित्र वीथिका में माननीय मुख्यमंत्रियों के आदमकद तैल चित्रों की स्थापना

42 - अन्य व्यय

39.48

योग : 04

39.48

05 - विधान सभा परिसर में डिजिटल सी0 सी0 टी0 वी0 सर्विलांस कैमरा प्रणाली की स्थापना

24 - वृहत् निर्माण कार्य

14.22

26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र

330.46

योग : 05

344.68

06 - उ0 प्र0 विधान सभा की कार्यवाहियों का दूरदर्शन के माध्यम से सजीव प्रसारण

26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र

499.00

योग : 06

499.00

योग : 800

890.39

योग : 4059

890.39

	धनराशि
योग : पूँजी लेखा	890.39
योग : अनुपूरक	890.39

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उत्तर प्रदेश विधान भवन (मुख्य भवन) में पूर्व में स्थापित सी0 सी0 टी0 वी0 सर्विलांस कैमरा प्रणाली के स्थान पर अत्याधुनिक डिजिटल सी0 सी0 टी0 वी0 सर्विलांस कैमरा प्रणाली की स्थापना कराए जाने हेतु रुपये 34468000 की आवश्यकता ।
2. उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाहियों का दूरदर्शन के माध्यम से सजीव प्रसारण किये जाने के लिये सदन में स्थायी व्यवस्था कराए जाने हेतु रुपये 49900000 की आवश्यकता ।
3. उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय परिसर स्थित चित्रवीथिका में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के तैल-चित्र की स्थापना कराए जाने हेतु रुपये 3948000 की आवश्यकता ।
4. उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय परिसर स्थित राजर्षि पुरूषोत्तम दास टण्डन हाल में मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के तैल-चित्र की स्थापना कराए जाने हेतु रुपये 723000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 70

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 7)के पृष्ठ संख्या 141-146 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	28247.03	4728.69	32975.72
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	10320.22	...	10320.22
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	38567.25	4728.69	43295.94
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2810 - अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत

02 - सौर

101 - सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम

03 - विज्ञान एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत

0301 - नान कन्वैशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

27 - सब्सिडी

10000.00

31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

128.21

योग : 0301

10128.21

0303 - केन्द्रीय योजना आयोग के निदेशन में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा नियोजन कार्यक्रम

31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

192.01

योग : 0303

192.01

योग : 03

10320.22

योग : 101

10320.22

योग : 2810

10320.22

योग : राजस्व लेखा

10320.22

योग : अनुपूरक

10320.22

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत स्थापित हो रही परियोजना से उत्पादित विद्युत को यू0 पी0 पी0 सी0 एल 0 द्वारा क्रय करने के लिये प्रोत्साहन धनराशि जाने हेतु रुपये 1000000000 की आवश्यकता ।
2. उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण को वेतन हेतु रुपये 32022000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 71

शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 8)के पृष्ठ संख्या 1-15 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	4978857.99	35341.52	5014199.51
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	40184.93	5000.00	45184.93
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	5019042.92	40341.52	5059384.44
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2202 - सामान्य शिक्षा

01 - प्रारम्भिक शिक्षा

102 - अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता

03 - उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के छात्र - छात्राओं को निःशुल्क जूता, मोजा एवं स्वेटर उपलब्ध कराया जाना

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

39003.27

योग : 03

39003.27

योग : 102

39003.27

111 - सर्व शिक्षा अभियान

03 - कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक शिक्षकों के मानदेय के अन्तर की धनराशि

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

1181.66

योग : 03

1181.66

योग : 111

1181.66

योग : 2202

40184.93

योग : राजस्व लेखा

40184.93

पूँजी लेखा-----

4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

01 - सामान्य शिक्षा

201 - प्रारम्भिक शिक्षा -

	धनराशि
05 - बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास	
24 - बृहत् निर्माण कार्य	5000.00
योग : 05	5000.00
योग : 201	5000.00
योग : 4202	5000.00
योग : पूँजी लेखा	5000.00
योग : अनुपूरक	45184.93

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्वेटर उपलब्ध कराये जाने हेतु 3900327000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु रुपये 5000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत अशंकालिक शिक्षकों के मानदेय के अन्तर की धनराशि भुगतान राज्य सरकार द्वारा किये जाने हेतु रुपये 118166000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 72

शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 8)के पृष्ठ संख्या 17-45 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	909794.42	28949.21	938743.63
	भारित	0.50	...	0.50
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	200.00	...	200.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	909994.42	28949.21	938943.63
	भारित	0.50	...	0.50

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2204 - खेल कूद तथा युवा सेवायें

102 - विद्यार्थियों के लिये युवा कल्याण कार्यक्रम

04 - राष्ट्रीय सेना छात्र दल

01 - वेतन

180.00

49 - चिकित्सा व्यय

20.00

योग : 04

200.00

योग : 102

200.00

योग : 2204

200.00

योग : राजस्व लेखा

200.00

योग : अनुपूरक

200.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. राष्ट्रीय सेना छात्र दल (एन.सी.सी.) निदेशालय हेतु वेतनादि मदों में रूपये 20000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 74

गृह विभाग (होमगार्डस)

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 8)के पृष्ठ संख्या 73-78 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	77122.06	2205.37	79327.43
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	10104.39	...	10104.39
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	87226.45	2205.37	89431.82
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें

107 - होमगार्डस

03 - सामान्य अधिष्ठान

02 - मजदूरी

9200.00

योग : 03

9200.00

06 - विधान सभा निर्वाचन

02 - मजदूरी

800.00

योग : 06

800.00

योग : 107

10000.00

योग : 2070

10000.00

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

200 - अन्य कार्यक्रम

03 - झूटीरत होमगार्डस स्वयं सेवकों के बीमा हेतु बीमा कम्पनी को प्रीमियम की अदायगी

42 - अन्य व्यय

104.39

योग : 03

104.39

योग : 200

104.39

योग : 2235

104.39

	धनराशि
योग : राजस्व लेखा	10104.39
योग : अनुपूरक	10104.39

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. होमगार्ड्स स्वयं सेवकों को झूटी भते के भुगतान हेतु रुपये 920000000 तथा निर्वाचन से सम्बन्धित झूटी भते की लम्बित देनदारियों के भुगतान हेतु रुपये 80000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. झूटीरत होमगार्ड्स स्वयं सेवकों को सामाजिक दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित किये जाने हेतु बीमा कम्पनी को प्रीमियम की अदायगी हेतु रुपये 10439000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 75
शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 8)के पृष्ठ संख्या 79-94 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	15729.34	825.00	16554.34
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	438.12	...	438.12
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	16167.46	825.00	16992.46
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2202 - सामान्य शिक्षा

80 - सामान्य

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्

49 - चिकित्सा व्यय

6.00

योग : 03

6.00

योग : 001

6.00

003 - प्रशिक्षण

04 - परिषद् का हिन्दी भाषा विभाग राज्य हिन्दी संस्थान वाराणसी

09 - विद्युत देय

2.78

10 - जलकर / जल प्रभार

0.68

17 - किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व

3.16

योग : 04

6.62

13 - राजकीय प्रशिक्षण संस्थायें-राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय

09 - विद्युत देय

10.50

योग : 13

10.50

योग : 003

17.12

004 - अनुसंधान

03 - परिषद् का मनोविज्ञान तथा शैक्षिक निदेशन विभाग मनोविज्ञान शाखा, इलाहाबाद

	धनराशि
01 - वेतन	12.00
06 - अन्य भत्ते	3.00
योग : 03	15.00
योग : 004	15.00
800 - अन्य व्यय	
06 - परीक्षा नियामक कार्यालय, इलाहाबाद हेतु टी0 ई0 टी0 चयन, बी0 टी0 सी0 चयन एवं बी0 टी0 सी0 परीक्षा कराये जाने हेतु	
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	400.00
योग : 06	400.00
योग : 800	400.00
योग : 2202	438.12
योग : राजस्व लेखा	438.12
योग : अनुपूरक	438.12

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. परीक्षा नियामक कार्यालय, इलाहाबाद द्वारा टी.ई.टी. चयन, बी.टी.सी. चयन एवं बी.टी.सी. परीक्षा कराये जाने हेतु रुपये 40000000 की आवश्यकता ।
2. राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के हिन्दी भाषा विभाग, राज्य हिन्दी संस्थान, वाराणसी की लम्बित देनदारियों के भुगतान हेतु 662000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 600000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के मनोविज्ञान तथा शैक्षिक निदेशन विभाग मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद को वेतनादि मदों में रुपये 1500000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नियंत्रणाधीन राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के विद्युत देयों के भुगतान हेतु रुपये 1050000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 76

श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-21 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	32518.72	25.00	32543.72
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	3696.26	...	3696.26
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	36214.98	25.00	36239.98
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2230 - श्रम तथा रोजगार

01 - श्रम

111 - श्रमिक के लिये सामाजिक सुरक्षा

04 - उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि की जमा धनराशि की वापसी

42 - अन्य व्यय

3696.26

योग : 04

3696.26

योग : 111

3696.26

योग : 2230

3696.26

योग : राजस्व लेखा

3696.26

योग : अनुपूरक

3696.26

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि की जमा धनराशि की वापसी हेतु रूपये 369626000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 77

श्रम विभाग (सेवायोजन)

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 23-30 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	9694.81	96.83	9791.64
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	480.00	...	480.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	10174.81	96.83	10271.64
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2230 - श्रम तथा रोजगार

02 - रोजगार सेवाएं

001 - निदेशन और प्रशासन

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

0102 - सेवायोजन कार्यालयों को एन 0 सी0 एस 0 पोर्टल से इंटरलिक कराया जाना (के.100/रा.0-के.)

08 - कार्यालय व्यय 257.15

42 - अन्य व्यय 52.09

46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय 170.76

योग : 0102 480.00

योग : 01 480.00

योग : 001 480.00

योग : 2230 480.00

योग : राजस्व लेखा 480.00

योग : अनुपूरक 480.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उत्तर प्रदेश सेवायोजन कार्यालयों को नेशनल पोर्टल से इंटरलिक कराने हेतु रुपये 48000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 78

सचिवालय प्रशासन विभाग

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 31-41 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	96432.26	3275.10	99707.36
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	2565.00	...	2565.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	98997.26	3275.10	102272.36
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2052 - सचिवालय-सामान्य सेवायें

090 - सचिवालय

03 - सचिवालय-

0312 - बायोमैट्रिक्स एवं आधार पर आधारित उपस्थिति प्रणाली

26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

65.00

योग : 0312

65.00

योग : 03

65.00

11 - ई-गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत सचिवालय में कम्प्यूटर लैपटॉप एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों का क्रय

16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

800.00

46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय

1700.00

योग : 11

2500.00

योग : 090

2565.00

योग : 2052

2565.00

योग : राजस्व लेखा

2565.00

योग : अनुपूरक

2565.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. सचिवालय में ई-आफिस व्यवस्था को लागू किये जाने हेतु रूपये 250000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सभी विभागों में बायोमैट्रिक्स एवं आधार पर आधारित उपस्थित प्रणाली हेतु रूपये 6500000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 79

समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा

वर्ग कल्याण)

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 43-59 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	197059.24	20365.30	217424.54
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	36250.50	...	36250.50
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	233309.74	20365.30	253675.04
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

03 - पिछड़े वर्गों का कल्याण

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - मुख्यालय/मंडलीय/जिला कार्यालय

16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

47.00

योग : 03

47.00

योग : 001

47.00

277 - शिक्षा

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0101 - पिछड़ी जातियों के कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को छात्र-वृत्ति(के. 50/रा.50-के.+ रा.) (जिला योजना)

21 - छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन

1797.00

योग : 0101

1797.00

0102 - भारत सरकार द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (के. 100/रा.00-के.)

21 - छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन

18996.28

योग : 0102

18996.28

योग : 01

20793.28

योग : 277

20793.28

800 - अन्य व्यय

	धनराशि
04 - पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	15400.00
योग : 04	15400.00
योग : 800	15400.00
योग : 2225	36240.28
2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	
02 - समाज कल्याण	
101 - विकलांग व्यक्तियों का कल्याण	
15 - विकलांग जन आयुक्त कार्यालय की स्थापना	
01 - वेतन	4.51
07 - मानदेय	0.76
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	4.00
49 - चिकित्सा व्यय	0.95
योग : 15	10.22
योग : 101	10.22
योग : 2235	10.22
योग : राजस्व लेखा	36250.50
योग : अनुपूरक	36250.50

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु रुपये 1899628000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता हेतु रुपये 1540000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना हेतु रुपये 1797000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. जनपद मंडल एवं मुख्यालय पर संविदा पर कार्यरत, कम्प्यूटर आपरेटर / चौकीदारों के पारिश्रमिक भुगतान हेतु रुपये 4700000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. विकलांगजन आयुक्त कार्यालय को विभिन्न मदों में रुपये 1022000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 80

समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों

का कल्याण)

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 61-84 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	433450.93	136.51	433587.44
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	7477.50	...	7477.50
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	440928.43	136.51	441064.94
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

01 - अनुसूचित जातियों का कल्याण

277 - शिक्षा

07 - विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के वर्तमान पुस्तकालयों छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार (जिला योजना)

31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

3352.50

योग : 07

3352.50

योग : 277

3352.50

योग : 2225

3352.50

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 - समाज कल्याण

200 - अन्य कार्यक्रम

06 - सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

4125.00

योग : 06

4125.00

योग : 200

4125.00

	धनराशि
योग : 2235	4125.00
योग : राजस्व लेखा	7477.50
योग : अनुपूरक	7477.50

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. समाज कल्याण विभाग से सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के पुस्तकालयों, छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार विस्तार हेतु रुपये 335250000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु रुपये 412500000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 81

समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 85-108 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	26184.37	7376.41	33560.78
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	14611.33	9605.14	24216.47
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	40795.70	16981.55	57777.25
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2202 - सामान्य शिक्षा

01 - प्रारम्भिक शिक्षा

796 - जनजातीय उपयोजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0103 - सर्वशिक्षा अभियान (के.60/रा.40-के.+रा.)

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

7354.08

योग : 0103 7354.08

योग : 01 7354.08

योग : 796 7354.08

योग : 2202 7354.08

2211 - परिवार कल्याण

796 - जनजाति क्षेत्र उपयोजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0101 - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत संचालित योजनाओं का कार्यान्वयन (के.60/रा.40-के.+रा.)

42 - अन्य व्यय

5500.00

योग : 0101 5500.00

	धनराशि
योग : 01	5500.00
योग : 796	5500.00
योग : 2211	5500.00

2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

02 - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना

03 - मुख्यालय अधिष्ठान

01 - वेतन	31.00
06 - अन्य भत्ते	3.00
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.00
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3.00
52 - पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	3.07
योग : 03	42.07

09 - अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पधति विद्यालय

01 - वेतन	33.00
04 - यात्रा व्यय	3.00
08 - कार्यालय व्यय	3.00
09 - विद्युत देय	21.00
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	35.00
योग : 09	95.00

17 - जनजाति उपयोगना

1701 - एकिकृत विकास योजना, लखीमपुर खीरी

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	7.00
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	50.00
योग : 1701	57.00

योग : 17 57.00

18 - अनुसूचित जनजाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	130.00
योग : 18	130.00
योग : 796	324.07

		धनराशि
योग : 2225		324.07
2230 - श्रम तथा रोजगार		
02 - रोजगार सेवाएं		
796 - जनजातीय क्षेत्र उप योजना		
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं		
0101 - दीन दयाल अन्त्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (के.60/रा.40-के.+रा.)		
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)		146.20
योग : 0101		146.20
योग : 01		146.20
योग : 796		146.20
योग : 2230		146.20
2402 - मृदा तथा जल संरक्षण		
796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं		
0101 - नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना		
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान		400.00
43 - सामग्री एवं सम्पूति		154.08
योग : 0101		554.08
योग : 01		554.08
योग : 796		554.08
योग : 2402		554.08
2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
796 - जन जातीय क्षेत्र उपयोजना		
02 - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)		
0201 - स्वच्छ शौचालय का निर्माण (जिला योजना) (के 60/रा 40-के+रा)		
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)		732.90

	धनराशि
योग : 0201	732.90
योग : 02	732.90
योग : 796	732.90
योग : 2515	732.90
योग : राजस्व लेखा	14611.33

पूँजी लेखा-----

4215 - जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय

01 - जलपूर्ति

796 - जनजातीय क्षेत्र उप योजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0101 - राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) (के.50/रा.50-के.+रा.)

24 - वृहत् निर्माण कार्य 3500.00

योग : 0101 3500.00

योग : 01 3500.00

योग : 796 3500.00

योग : 4215 3500.00

4225 - अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियो तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

02 - अनुसूचित जनजातियो का कल्याण

796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0104 - संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजातियो के कल्याण हेतु मॉडल विद्यालय (के.100/रा.0-के.)

24 - वृहत् निर्माण कार्य 468.22

योग : 0104 468.22

0108 - जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत निर्माण कार्य (के.100-रा.0/के.)

24 - वृहत् निर्माण कार्य 5636.92

योग : 0108 5636.92

	धनराशि
योग : 01	6105.14
योग : 796	6105.14
योग : 4225	6105.14
योग : पूँजी लेखा	9605.14
योग : अनुपूरक	24216.47

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हेतु रुपये 14620000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में विभिन्न मदों हेतु रुपये 9500000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना हेतु रुपये 55408000 की आवश्यकता ।
4. अनुसूचित जनजाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिये आर्थिक सहायता हेतु रुपये 13000000 की आवश्यकता ।
5. सर्वशिक्षा अभियान हेतु रुपये 735408000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. एकीकृत जनजाति विकास योजना, लखीमपुर खीरी के लिये रुपये 5700000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों, जनजातियों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित विशेष केन्द्रीय सहायता योजना हेतु रुपये 563692000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
8. जनजाति क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत मुख्यालय अधिष्ठान में विभिन्न मदों हेतु 4207000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
9. संविधान के अनुच्छेद-275 (1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण हेतु विभिन्न निर्माण कार्य तथा जिला इकाइयों के संचालन हेतु रुपये 46822000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
10. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु रुपये 550000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
11. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत स्वच्छ शौचालयों के निर्माण हेतु रुपये 73290000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
12. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु रुपये 350000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 82

सतर्कता विभाग

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 109-114 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	5266.52	...	5266.52
	भारित	570.74	...	570.74
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	152.30	...	152.30
	भारित	22.50	...	22.50
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	5418.82	...	5418.82
	भारित	593.24	...	593.24

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें

104 - सतर्कता

04 - सतर्कता निदेशालय

01 - वेतन	100.00
02 - मजदूरी	5.16
09 - विद्युत देय	22.00
10 - जलकर / जल प्रभार	14.14
17 - किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	11.00
योग : 04	152.30

05 - लोक आयुक्त संगठन

14 - मोटर गाडियों का क्रय

	मतदेय	--
योग : 05	मतदेय	--
	भारित	22.50
योग : 104	मतदेय	152.30
	भारित	22.50
योग : 2070	मतदेय	152.30
	भारित	22.50
योग : राजस्व लेखा	मतदेय	152.30
	भारित	22.50
योग : अनुपूरक	मतदेय	152.30
	भारित	22.50

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त संगठन के लिए वाहन क्रय हेतु रूपये 2250000 की आवश्यकता ।
2. उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान हेतु विभिन्न मदों में अतिरिक्त धनराशि हेतु रूपये 15230000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 83

समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष

घटक योजना)

[वर्ष 2017-2018 के ब्यौरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 115-187 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1709490.60	557017.61	2266508.21
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	69783.14	139388.12	209171.26
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1779273.74	696405.73	2475679.47
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

01 - अनुसूचित जातियों का कल्याण

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0111 - अत्याचारों से उत्पीडित अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को सहायता (50% भारत सरकार जिला योजना)
(के.50/रा.50-के.+रा.)

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

3000.00

योग : 0111

3000.00

योग : 01

3000.00

07 - अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता (जिला योजना)

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

12100.00

योग : 07

12100.00

योग : 789

15100.00

योग : 2225

15100.00

2230 - श्रम तथा रोजगार

03 - प्रशिक्षण

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

04 - राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना

01 - वेतन

	धनराशि
	900.00
योग : 04	900.00
योग : 789	900.00
योग : 2230	900.00

2401 - फसल कृषि कर्म

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0109 - "पर ड्रॉप मोर क्रॉप"- माइक्रो इरीगेशन योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)

27 - सब्सिडी

1545.46

44 - प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय

9.83

योग : 0109	1555.29
योग : 01	1555.29
योग : 789	1555.29
योग : 2401	1555.29

2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0103 - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालय का निर्माण (जिला योजना) (के.60/रा.40-के.+रा.)

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

52227.85

योग : 0103	52227.85
योग : 01	52227.85
योग : 789	52227.85
योग : 2515	52227.85

योग : राजस्व लेखा

69783.14

पूँजी लेखा-----

4215 - जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय

01 - जलपूर्ति

		धनराशि
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ		
0101 - राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.)(के.50/रा.50-के.+रा)		
24 - वृहत् निर्माण कार्य		14000.00
योग : 0101		14000.00
योग : 01		14000.00
योग : 789		14000.00
योग : 4215		14000.00
4216 - आवास पर पूंजीगत परिव्यय		
03 - ग्रामीण आवास		
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ		
0102 - प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (के.60/रा.40-के+रा.)-		
24 - वृहत् निर्माण कार्य		112528.32
योग : 0102		112528.32
योग : 01		112528.32
योग : 789		112528.32
योग : 4216		112528.32
4401 - फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय		
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		
02 - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना		
0201 - कृषि क्षेत्र की पूंजीगत योजनायें		
24 - वृहत् निर्माण कार्य		2000.00
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र		500.00
योग : 0201		2500.00
0202 - उद्यान तथा खाद्य प्रसंस्करण की पूंजीगत योजनायें		
24 - वृहत् निर्माण कार्य		300.00

	धनराशि
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	100.00
योग : 0202	400.00
0203 - पशुपालन की पूंजीगत योजनायें	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1300.00
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	200.00
योग : 0203	1500.00
0204 - रेशम उत्पादन की पूंजीगत योजनायें	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	300.00
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	100.00
योग : 0204	400.00
योग : 02	4800.00
योग : 789	4800.00
योग : 4401	4800.00
5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
03 - राज्य राजमार्ग	
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
03 - राज्य मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण के कार्यों हेतु	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	2121.00
योग : 03	2121.00
05 - राज्य प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1060.50
योग : 05	1060.50
06 - राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के नये कार्यों हेतु व्यवस्था	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	636.30
योग : 06	636.30
योग : 789	3817.80
04 - जिला तथा अन्य सड़कें	
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	

	धनराशि
12 - जिला मुख्यालय को 04 लेन मार्गों से जोड़े जाने हेतु मार्गों के निर्माण/ चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के कार्य हेतु	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	2121.00
योग : 12	2121.00
13 - राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के कार्यों हेतु	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	2121.00
योग : 13	2121.00
योग : 789	4242.00
योग : 5054	8059.80
योग : पूँजी लेखा	139388.12
योग : अनुपूरक	209171.26

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के कर्मचारियों के वेतन हेतु रुपये 90000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत विभिन्न योजनाओं हेतु रुपये 480000000 की आवश्यकता ।
3. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु रुपये 1400000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु रुपये 11252832000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु रुपये 1210000000 की आवश्यकता ।
6. राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण के पूंजीगत कार्यों हेतु रुपये 212100000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण के नये कार्यों हेतु रुपये 106050000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
8. राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण के पूंजीगत कार्यों हेतु रुपये 63630000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
9. जिला मुख्यालय को 04 लेन मार्गों से जोड़े जाने हेतु मार्गों का निर्माण / चौड़ीकरण / सुदृढीकरण के कार्य हेतु रुपये 212100000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
10. प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के निर्माण चौड़ीकरण / सुदृढीकरण के चालू कार्यों हेतु रुपये 212100000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
11. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत स्वच्छ शौचालयों के निर्माण हेतु रुपये 5222785000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
12. अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को सहायता योजना हेतु रुपये 300000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
13. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उपघटक पर ड्राप मोर क्राप (माइक्रो इरिगेशन) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु रुपये 155529000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 84

सामान्य प्रशासन विभाग

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 189-194 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	2347.09	5303.14	7650.23
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	96.12	5000.00	5096.12
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	2443.21	10303.14	12746.35
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2250 - अन्य सामाजिक सेवायें

101 - धर्मार्थ प्रायोजनों के लिए दान

08 - कैलाश मानसरोवर के भवन के लिए शिलान्यास पर व्यय

42 - अन्य व्यय

96.12

योग : 08

96.12

योग : 101

96.12

योग : 2250

96.12

योग : राजस्व लेखा

96.12

पूँजी लेखा-----

4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

800 - अन्य व्यय

05 - कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण

24 - बृहत् निर्माण कार्य

1000.00

योग : 05

1000.00

07 - वाराणसी में गंगानदी से विश्वनाथ मंदिर तक के मार्ग का विस्तारीकरण / सुन्दरीकरण

24 - बृहत् निर्माण कार्य

4000.00

योग : 07

4000.00

योग : 800

5000.00

योग : 4250

5000.00

	धनराशि
योग : पूँजी लेखा	5000.00
योग : अनुपूरक	5096.12

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. कैलाश मानसरोवर भवन के शिलान्यास पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 9612000 की आवश्यकता ।
2. कैलाश मानसरोवर भवन के निर्माण हेतु भूमि के लिये रुपये 100000000 की आवश्यकता ।
3. वाराणसी में गंगा नदी से विश्वनाथ मन्दिर तक के मार्गों का विस्तारीकरण / सुन्दरीकरण हेतु रुपये 400000000 की आवश्यकता ।

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	81410.39	3240.80	84651.19
	भारित	6545.02	...	6545.02
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	304.00	69.43	373.43
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	81714.39	3310.23	85024.62
	भारित	6545.02	...	6545.02

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2040 - विक्री, व्यापार आदि पर कर

800 - अन्य व्यय

03 - वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-

02 - मजदूरी

250.00

10 - जलकर / जल प्रभार

40.00

योग : 03

290.00

04 - वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-

16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

4.00

49 - चिकित्सा व्यय

10.00

योग : 04

14.00

योग : 800

304.00

योग : 2040

304.00

योग : राजस्व लेखा

304.00

पूँजी लेखा-----

4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

01 - कार्यालय भवन

051 - निर्माण

13 - क्षेत्रीय कार्यालय

1321 - जनपद सहारनपुर में वाणिज्यकर कार्यालय भवन का निर्माण

24 - वृहत् निर्माण कार्य

69.43

	धनराशि
योग : 1321	69.43
योग : 13	69.43
योग : 051	69.43
योग : 4059	69.43
योग : पूँजी लेखा	69.43
योग : अनुपूरक	373.43

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. वाणिज्य कर अधिकरण के अधिष्ठान व्यय हेतु रूपये 1000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. वाणिज्य कर आयुक्त अधिष्ठान के लिये लम्बित जलकर /जल प्रभार हेतु रूपये 4000000 की आवश्यकता ।
3. जनपद सहारनपुर में वाणिज्य कर कार्यालय भवन निर्माण हेतु रूपये 6943000 की आवश्यकता ।
4. प्रदेश में रोड चेकिंग क दौरान सचलदल इकाईयों द्वारा रोके जाने वाले वाहनों के भौतिक सत्यापन हेतु पल्लेदारों को मजदूरी हेतु रूपये 25000000 की आवश्यकता ।
5. वाणिज्य कर विभाग द्वारा एन.आई.सी. के देयको के भुगतान तथा विभाग द्वारा योजित रिट याचिकाओं हेतु 4 लाख 400000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 90

संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 237-240 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	4881.86	...	4881.86
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	133.00	...	133.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	5014.86	...	5014.86
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2045 - वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क

800 - अन्य व्यय

04 - 'टायलेट एक प्रेम कथा' को प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एस 0 जी0 एस 0 टी0) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

133.00

योग : 04

133.00

योग : 800

133.00

योग : 2045

133.00

योग : राजस्व लेखा

133.00

योग : अनुपूरक

133.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. हिन्दी फीचर फिल्म टायलेट एक प्रेम कथा के लिए दिये गए राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 13300000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 92

संस्कृति विभाग

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 251-263 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	7553.39	5973.00	13526.39
	भारित	0.05	...	0.05
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	300.00	512.30	812.30
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	7853.39	6485.30	14338.69
	भारित	0.05	...	0.05

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2205 - कला एवं संस्कृति

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - संस्कृति निदेशालय

42 - अन्य व्यय

300.00

योग : 03 300.00

योग : 001 300.00

योग : 2205 300.00

योग : राजस्व लेखा 300.00

पूँजी लेखा-----

4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

04 - कला तथा संस्कृति

106 - संग्रहालय

04 - तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन

0401 - ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों, संग्रहालयों के प्रतिरक्षण एवं संरक्षण तथा प्रमुख विरासत स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों का सुदृढीकरण

24 - बृहत् निर्माण कार्य

175.03

योग : 0401 175.03

योग : 04 175.03

	धनराशि
योग : 106	175.03
800 - अन्य व्यय	
30 - आल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी, गुरुद्वारा रोड, पेपर मिल कालोनी, लखनऊ में कला केन्द्र का निर्माण	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	187.27
योग : 30	187.27
39 - राजकीय बौद्ध संग्रहालय , गोरखपुर का सुदृढीकरण	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	75.00
योग : 39	75.00
40 - रामगढताल परियोजना गोरखपुर स्थित मुक्ताकाशी मंच के अनुरक्षण हेतु	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	75.00
योग : 40	75.00
योग : 800	337.27
योग : 4202	512.30
योग : पूँजी लेखा	512.30
योग : अनुपूरक	812.30

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. विभिन्न आयोजनों के लिये संस्कृति निदेशालय हेतु रुपये 30000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर के सुदृढीकरण हेतु रुपये 7500000 की आवश्यकता ।
3. तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य संरक्षित स्मारक, कुसुम सरोवर एवं छतरी गोवर्धन, मथुरा तथा राज य संरक्षित स्मारक, चुनार किला, मिर्जापुर आदि के निर्माण कार्यों हेतु 17503000 की आवश्यकता ।
4. आल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी, गुरुद्वारा रोड, पेपर मिल कालोनी निशातगंज लखनऊ में कला केन्द्र के निर्माण हेतु रुपये 18727000 की आवश्यकता ।
5. रामगढताल परियोजना गोरखपुर स्थित मुक्ताकाशी मंच के अनुरक्षण व सुधार हेतु रुपये 7500000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 94

सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 10)के पृष्ठ संख्या 1-102 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	320910.73	371070.84	691981.57
	भारित	...	500.00	500.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	10000.00	14066.69	24066.69
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	330910.73	385137.53	716048.26
	भारित	...	500.00	500.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2702 - लघु सिंचाई

03 - रख - रखाव

103 - नलकूप

03 - अन्य रख रखाव व्यय

09 - विद्युत देय

10000.00

योग : 03

10000.00

योग : 103

10000.00

योग : 2702

10000.00

योग : राजस्व लेखा

10000.00

पूँजी लेखा-----

4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

14 - राजघाट नहर परियोजना (वाणिज्यिक)

051 - निर्माण

11 - शाखायें

1114 - सम्बद्ध कार्य

24 - बृहत् निर्माण कार्य

1000.00

योग : 1114

1000.00

	धनराशि
योग : 11	1000.00
योग : 051	1000.00
<hr/>	
20 - कनहर सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)	
051 - निर्माण	
10 - नहरे	
1013 - सम्बद्ध कार्य (नाबार्ड)	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	8000.00
योग : 1013	8000.00
योग : 10	8000.00
योग : 051	8000.00
<hr/>	
23 - बदायूं सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)	
051 - निर्माण	
10 - नहरें	
1013 - सम्बद्ध कार्य (नाबार्ड)	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	2000.00
योग : 1013	2000.00
योग : 10	2000.00
योग : 051	2000.00
<hr/>	
योग : 4700	11000.00
<hr/>	
4711 - बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
01 - बाढ नियंत्रण	
103 - सिविल निर्माण कार्य	
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0103 - त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र में नदी में सुधार व कटाव निरोधक परियोजनाओं हेतु एकमुश्त व्यवस्था (ए 0 आई 0 बी 0 पी 0) (के. 100/रा. 0-के.)	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1866.69

	धनराशि
योग : 0103	1866.69
योग : 01	1866.69
09 - कटाव निरोधक योजनायें	
0984 - नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यों की परियोजनाओं हेतु एकमुश्त व्यवस्था	
24 - बृहत् निर्माण कार्य	1000.00
योग : 0984	1000.00
योग : 09	1000.00
योग : 103	2866.69
03 - जल निकास	
103 - सिविल निर्माण कार्य	
03 - जल निकास योजनायें (राज्य सेक्टर)	
0305 - पुनरोद्धार की परियोजनाएं (राज्य सेक्टर)	
24 - बृहत् निर्माण कार्य	200.00
योग : 0305	200.00
योग : 03	200.00
योग : 103	200.00
योग : 4711	3066.69
योग : पूँजी लेखा	14066.69
योग : अनुपूरक	24066.69

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. लघु सिंचाई के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों एवं पम्प नहरों के विद्युत देय हेतु रूपये 1000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. कनहर सिंचाई परियोजना (नाबार्ड पोषित) के कार्य कराये जाने हेतु रूपये 800000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. बदायूं सिंचाई परियोजना (नाबार्ड पोषित) के कार्य कराये जाने हेतु रूपये 200000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. बाढ नियंत्रण परियोजना के अन्तर्गत ए0 आई0 बी0 पी0 पोषित नेपाल राष्ट्र की नदी में सुधार व कटाव निरोध की 10 चालू परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में उत्तर प्रदेश राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 186669000 की प्रतिपूर्ति ।
5. नदी में सुधार तथा कटाव निरोधक कार्यों के लिए प्रदेश के विभिन्न जनपदों की 15 नयी परियोजनाओं हेतु रूपये 100000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. जनपद प्रतापगढ में जल निकास की एक नयी परियोजना हेतु रूपये 20000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

7. राजघाट नहर प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न चालू/ नई परियोजनाओं के कार्य कराये जाने हेतु रुपये 100000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 95

सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

[वर्ष 2017-2018 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 10)के पृष्ठ संख्या 103-109 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	403260.08	...	403260.08
	भारित	50.00	...	50.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	100.00	...	100.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	403360.08	...	403360.08
	भारित	50.00	...	50.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2701 - मुख्य तथा मध्यम सिंचाई

02 - मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक

001 - निदेशन तथा प्रशासन

04 - कार्यकारी अधिष्ठान

49 - चिकित्सा व्यय

100.00

योग : 04

100.00

योग : 001

100.00

योग : 2701

100.00

योग : राजस्व लेखा

100.00

योग : अनुपूरक

100.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. सिंचाई विभाग के कर्मचारियों / अधिकारियों के अधिष्ठान के लिए चिकित्सा व्यय हेतु रुपये 10000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।